



भारतीय रिज़र्व बैंक/ RESERVE BANK OF INDIA

संपदा विभाग/ ESTATE DEPARTMENT

तिरुवनंतपुरम/ THIRUVANANTHAPURAM - 695033

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम के बेसमेंट मंजिल पर स्थित एसबीएस कक्ष के नवीनीकरण के लिए निविदा।

पार्ट - I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)

निविदाकार का नाम Name of Tenderer: _____

पता Address: _____

निविदा आमंत्रण सूचना की तिथि	15 जनवरी, 2026
बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए निविदा की वैधता	निविदा खुलने की तिथि से 90 दिनों के भीतर
निविदा जमा करने की आखिरी तारीख	28 जनवरी, 2026 को दोपहर 03:00 बजे
निविदा खोलने की तारीख	28 जनवरी, 2026 को अपराह्न 04:00 बजे

यह दस्तावेज़ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की संपत्ति है। आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना, इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम पर कॉपी, वितरित या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, सिवाय इसके कि आरबीआई को उक्त उद्देश्य के लिए जवाब देने के उद्देश्य से ही ऐसा किया जाए। इस दस्तावेज़ की सामग्री का उपयोग, यहाँ तक कि प्राधिकृत कर्मियों/एजेंसियों द्वारा भी, यहाँ निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए, सख्त वर्जित है और कापीराइट उल्लंघन माना जाएगा और इस प्रकार, भारतीय कानून के तहत दंडनीय होगा।

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, तिरुवनंतपुरम ने इच्छुक पक्षों को परियोजना की पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें निहित जानकारी को तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और मानता है कि यह उचित है, फिर भी न तो भारतीय रिज़र्व बैंक, न ही इसके किसी भी प्राधिकारी या एजेंसी, और न ही उसके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या इसके साथ प्रदान की जाने वाली किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी देते हैं या कोई अभिव्यक्त या निहित प्रतिनिधित्व करते हैं।

यह जानकारी संपूर्ण नहीं है। इच्छुक पक्षों को स्वयं पूछताछ करनी होगी और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा प्रस्तुत करते समय केवल आरबीआई द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की गई है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक इस परियोजना को आगे न बढ़ाने, परियोजना के स्वरूप में परिवर्तन न करने, इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई समय-सारिणी में परिवर्तन न करने, या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया में परिवर्तन न करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, बैंक इस मामले में इच्छुक किसी भी पक्ष के साथ आगे चर्चा करने से इनकार करने का भी अधिकार सुरक्षित रखता है। इच्छुक व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

निविदा आमंत्रण सूचना

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम के बेसमेंट मंजिल पर स्थित एसबीएस कक्ष के नवीनीकरण के लिए निविदा।

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम 10 लाख से 25 लाख के बीच लागत वाले कार्य की उक्त श्रेणी के अंतर्गत बैंक के सूचीबद्ध विक्रेताओं/ठेकेदारों से उपर्युक्त कार्य के लिए ई-निविदाई आमंत्रित करता है। एमएसटीसी लिमिटेड के ई-निविदा पोर्टल (<https://www.mstcecommerce.com/eprocn>) के माध्यम से निविदा का कार्य किया जाएगा। सभी इच्छुक सूचीबद्ध विक्रेताओं/ठेकेदारों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के साथ स्वयं को पंजीकृत करना होगा। ई-निविदा की अनुसूची इस प्रकार है:

कार्य का नाम	बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम के बेसमेंट मंजिल पर स्थित एसबीएस कक्ष के नवीनीकरण
कार्य की अनुमानित लागत	जीएसटी सहित ₹10.85 लाख
ई-निविदा संख्या	आरबीआई/तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/19/25-26/ईटी/856
निविदा का तरीका	ई-खरीद सिस्टम (ऑनलाइन: भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली (www.mstcecommerce.com/eprocn) के माध्यम से
एनआईटी/निविदा की तिथि पार्टियों के लिए आरबीआई वेबसाइट/एमएसटीसी पोर्टल पर देखने के लिए उपलब्ध है	15 जनवरी, 2026
बोली-पूर्व बैठक की तिथि	21 जनवरी, 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे
एमएसटीसी पोर्टल में तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	21 जनवरी, 2026 अपराह्न 06:00 बजे से
तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तिथि	28 जनवरी, 2026 को अपराह्न 03:00 बजे
निविदा खोलने की तिथि एवं समय	28 जनवरी, 2026 को अपराह्न 04:00 बजे
लेनदेन शुल्क	एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा लगाया गया आरोप

भविष्य में, निविदा में यदि कोई संशोधन/शुद्धिपत्र जारी किया जाएगा तो उसे केवल आरबीआई वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर ही अधिसूचित किया जाएगा तथा समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

ई-खरीद के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

यह आरबीआई का ई-खरीद कार्य है। ई-खरीद सेवा प्रदाता/ ठेकेदार एमएसटीसी लिमिटेड है। आपसे अनुरोध है कि आप अपना ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले निविदा आमंत्रण नोटिस और उसके बाद के संशोधन (यदि कोई हो) को ध्यान से पढ़ें और समझें।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

ए) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-खरीद पोर्टल पर विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही विक्रेता अपनी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी। विक्रेता के पास श्रेणी III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। एमएसटीसी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (बिना डिजिटल हस्ताक्षर के बोलियाँ दर्ज नहीं की जाएँगी)।

विशेष नोट: तकनीकी-व्यावसायिक बोली और मूल्य बोली www.mstcecommerce.com/eproc के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए।

- 1) वेंडरों को स्वयं को www.mstecomcare.com => e-procurement => PUSU/ सरकारी विभाग => आरबीआई लोगो चुनें => विक्रेता के रूप में पंजीकृत करें => विवरण भेजें और अपने यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएँ => प्रस्तुत करें।
- 2) विक्रेताओं को पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान की गई ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले एमएसटीसी/आरबीआई से संपर्क करें।

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड - केवल कार्यालय समय के दौरान):

नाम	ईमेल आईडी	लैंडलाइन नं.	मोबाइल नं
श्री गणेश मूर्ति	bmtvcmtc@mstcindia.in	0471-2326686	09176616410
श्री संतोष राजेंद्रन	skrajendran@mstcindia.co.in ; tvcpn3mstcindia.in	0471-2326686	08884600700

केरल शाखा कार्यालय विवरण:

पता: पहली मंजिल, बीएसएनएल सीटीओ बिल्डिंग, केरल राज्य सचिवालय के सामने, महात्मा गांधी रोड, प्रतिमा, तिरुवनंतपुरम-695001	मेल आईडी: mstctvc@mstcindia.in	संपर्क: 0471-2326686
--	---	----------------------

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई - केवल कार्यालय समय के दौरान):

1. श्री पी जी हरिदास (सहायक महाप्रबंधक, संपदा विभाग)

0471-278 3030/ (pgharidas@rbi.org.in)

श्री डी भरत कुमार (सहायक प्रबंधक, संपदा विभाग)

0471-278 3042/ (bharathd@rbi.org.in)

मार्गदर्शक

1. सिस्टम अनिवार्यता:

- i) विंडोज 7 अथवा उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम।
- ii) आईई-7 और इंटरनेट ब्राउज़र के ऊपर।
- iii) हस्ताक्षर करने का प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर
- iv) नवीनतम अद्यतन जेआरई 8 (x86 ऑफ़लाइन) साफ्टवेयर को सिस्टम में डाउनलोड और इन्स्टॉल किया जाना है।

साइनर बॉक्स में डीएससी. दिखाई देने के लिए "प्रोटेक्टेड मोड" को अक्षम करने के लिए निम्नलिखित सेटिंग्स अनुप्रयोग का प्रयोग किया जाए।

- टूल्स => इंटरनेट विकल्प => सेक्यूरिटी => यदि एनेबिल्ड है तो प्रोटेक्टेड मोड को डिसेबल करें – अर्थात "एनेबिल प्रोटेक्टेड मोड" वाले टिक बॉक्से का टिक हटा दें।

अन्य सेटिंग्स:

- टूल्स => इंटरनेट विकल्प => सामान्य => "ब्राउज़िंग इतिहास/डिलीट ब्राउज़िंग इतिहास => टेंपरी इंटरनेट फ़ाइलें अधीन सेटिंग्स पर क्लिक करें => "हर बार जब मैं वेबपेज पर विजिट करता हूँ" को एक्टिवेट करें।

सभी सक्रिय एक्स नियंत्रणों को सक्षम करने और अक्षम करने के लिए टूल्स => इंटरनेट विकल्प => कस्टम स्तर के तहत 'पॉप अप ब्लॉकर का उपयोग करें' (कृपया www.mstcecommerce.com पृष्ठ से एक बार आईई सेटिंग्स चलाएं)

'तकनीकी-वाणिज्यिक बोली' और 'मूल्य बोली' को www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर ऑनलाइन जमा करना होगा। निविदा निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोले जाएंगे जैसा कि निविदा में दिया गया है। निविदा में सभी प्रविष्टियाँ बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।

2. लेन-देन शुल्क के लिए विशेष नोट: विक्रेता अपने लॉगिन के माध्यम से "बिड प्लोर" में विशिष्ट निविदा के विरुद्ध "लेन-देन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके / "ईवेंट कैटलॉग" में "लेन-देन शुल्क का भुगतान करें" के माध्यम से लेन-देन शुल्क का भुगतान करेंगे। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता को एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान

के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता चालान में बिना कोई बदलाव किए उस पर छपे विवरण के अनुसार लेन-देन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता के पास अपने क्रेडिट / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। **लेनदेन शुल्क वापसी योग्य नहीं है।** लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता को ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं मिलेगी।

नोट:

बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे आयोजन के समापन समय से पहले ही लेनदेन शुल्क का भुगतान कर दें ताकि उन्हें बोली प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

3. निविदाओं/शुद्धिपत्रों के बारे में जानकारी निविदा के अंतिम रूप देने तक की प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एमएसटीसी लिमिटेड के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने श्रेणी III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

4. एनआईटी (निविदा आमंत्रण सूचना) में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकेगी।

5. ई-निविदा में बोली लगाना :

नोट: विक्रेताओं को अनुदेश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए माई मेनू में **दस्तावेज़ अपलोड करें** लिंक का उपयोग करें। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एकल दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी है।

एक बार लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड हो जाने के बाद, विक्रेता विशेष ई - निविदा के लिए अटैच डॉक्यूमेंट लिंक के माध्यम से दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि दस्तावेज़ किसी ई-निविदा से संलग्न नहीं हैं, तो उन्हें आरबीआई द्वारा डाउनलोड नहीं किया जा सकता है और यह माना जाएगा कि विक्रेता ने दस्तावेज़ जमा नहीं किए हैं। अधिक सहायता के लिए कृपया विक्रेता गाइड के अनुदेशों का पालन करें।

- a) बोलीदाताओं आवश्यक है कि वे ईएमडी, ई - निविदा शुल्क, यदि कोई हो, जमा करें और ई - निविदा के लिए अलग से लेनदेन शुल्क जमा करना होगा। यदि कोई लेनदेन शुल्क है तो वह वापस नहीं किया जाएगा।
- b) इस प्रक्रिया में तकनीकी वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।

जिन बोलीदाताओं ने उपरोक्त शुल्क जमा कर दिया है, तो ही वे अपनी तकनीकी वाणिज्यिक बोलियां और मूल्य बोलियां इंटरनेट के माध्यम से ही केवल एमएसटीसी की वेबसाइट www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्यूरमेंट → नया सामान्य पोर्टल → बोली फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन → लेनदेन शुल्क- > सामान्य शर्तें-> दस्तावेज़ संलग्न करें-> मूल्य बोली के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें: लेनदेन शुल्क और ईएमडी विवरण के सफल प्रेषण के बाद, विक्रेता को अपने लॉगिन में संलग्न दस्तावेज और सामान्य शर्तें टैब सक्षम हो जाएगा। इस चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, विक्रेताओं को लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और पोर्टल के माध्यम से लॉट के लिए अपनी मूल्य बोली जमा करने या मूल्य बोलियां जमा करने के लिए एक्सेल फ़ाइल डाउनलोड करने और अपलोड करने की अनुमति दी जाएगी, जैसा भी मामला हो। यदि दस्तावेज़ संलग्न करना और/या सामान्य शर्तें सहेजना चरण असफल होता है, तो लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और मूल्य बोली जमा करने के लिए टैब अक्षम हो जाएंगे। बोली स्थिति बटन में यह स्थिति प्रदर्शित की जाएगी कि यह सफल है या लंबित है।

- c) सबसे पहले विक्रेता को वाणिज्यिक विनिर्देश (अगर कोई हो) को भरना होगा और उसे सहेजना होगा। फिर विक्रेता को टेक्नो - कमर्शियल बोली भरनी चाहिए। टेक्नो - कमर्शियल बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी टेक्नो - कमर्शियल बोली दर्ज करने के लिए ' सेव ' पर क्लिक करना चाहिए। ऐसा करने के बाद, मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे भरना होता है और फिर बोलीदाता को अपनी मूल्य बोली दर्ज करने के लिए " सेव " पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार जब टेक्नो - कमर्शियल बोली और मूल्य बोली दोनों सहेज ली जाती हैं, तो बोलीदाता अपनी बोली दर्ज करने के लिए " फाइनल सबमिशन " बटन पर क्लिक कर सकता है।

नोट : - अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद " बोली हटाएं " विकल्प दिखाया जाएगा। यदि विक्रेता अंतिम सबमिशन के बाद बोली को हटाना चाहता है और बोली को फिर से सबमिट करना चाहता है, तो उसे बोली हटाएं पर क्लिक करना चाहिए और उसे फिर से सबमिट करना चाहिए और फिर से अंतिम सबमिशन पर क्लिक करना चाहिए।

- d) सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ-साथ अपना स्वयं का आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।
- e) संपूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता एक-दूसरे के लिए तथा अन्य सभी के लिए पूर्णतः गुमनाम रहेंगे।
- f) ई-निविदा मंच पूर्व घोषित तिथि एवं समय से लेकर ऊपर उल्लिखित अवधि तक खुला रहेगा।
- g) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा पेश की गई वैध बोली माना जाएगा और खरीदार द्वारा उसे स्वीकार करने से आपूर्ति / कार्य के निष्पादन के लिए खरीदार और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी संविदा बन जाएगा। ऐसे सफल निविदाकर्ता को आगे से आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार कहा जाएगा।
- h) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियाँ श्रेणी III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं, अन्यथा उन्हें सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- i) क्रेता को बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से रद्द करने, अस्वीकार करने, स्वीकार करने, वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है।

- j) - निविदा दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई - निविदा प्लोर में बोली प्रस्तुत करना ई-निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।
- k) माप की इकाई (यूओएम) ई-निविदा प्लोर में दर्शाई गई है। उद्धृत की जाने वाली दर ई-निविदा प्लोर / निविदा दस्तावेज़ में दर्शाई गई यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए।

निविदा के भाग I के खोलने के बाद निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं है। किसी भी विक्रेता द्वारा ई-निविदा प्लोर में बोली प्रस्तुत करना निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है। इस निविदा से होने वाला कोई भी ऑर्डर उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा। निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली प्राप्त करने की नियत तिथि बढ़ाने का अधिकार है।

वे बोली लगाने से पहले प्रणाली से परिचित होने के लिए विक्रेता मार्गदर्शिका पढ़ें तथा www.mstcecommerce.com/eprocn पृष्ठ पर वीडियो देखें।

विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे 'वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट' पर जीएसटी के बिना दरें उद्धृत करें और जीएसटी सहित कुल लागत की गणना सिस्टम द्वारा की जाएगी। उद्धृत दरों में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट

मूल्य बोली में शब्दों की संख्या सीमित होने के कारण पूर्ण विवरण नहीं दिया जा सका तथा दिया गया विवरण संक्षिप्त है। दरें उद्धृत करने से पहले सभी ठेकेदारों को इस निविदा दस्तावेज में दी गई मात्राओं की अनुसूची में दिए गए प्रत्येक आइटम का पूरा विवरण तथा अन्य विनिर्देश/नियम एवं शर्तें अवश्य पढ़नी चाहिए। निष्पादन एवं दर उद्देश्य के लिए, इस निविदा दस्तावेज में दी गई मात्राओं की अनुसूची में दिए गए विवरण को लागू किया जाएगा।



संपदा विभाग
तिरुवनंतपुरम

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम के बेसमेंट मंजिल पर स्थित एसबीएस कक्ष के नवीनीकरण के लिए निविदा।

विषयवस्तु

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1)	निविदा का प्रारूप	10
2)	निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य अनुदेश	12
3)	संविदा की सामान्य शर्तें	17
4)	विशेष शर्तें	34
5)	सुरक्षा कोड	36
6)	अग्नि सुरक्षा कोड	37
7)	परिशिष्ट यहाँ पहले संदर्भित	38
8)	सामग्री के अनुमोदित निर्माताओं/निर्माताओं की सूची	39
9)	मात्राओं की बिना मूल्य वाली अनुसूची	40
10)	करार की शर्तें	46
11)	फर्मों को बोली लगाने से रोकने के संबंध में वचनबद्धता	52
12)	चित्र	53

खंड-ए /SECTION - A**प्रस्ताव का पत्र / LETTER OF OFFER**

स्थान:

तारीख:

सेवा में
श्रीमती जे. सुजाता
महाप्रबंधक (ओ- आई -सी)
भारतीय रिजर्व बैंक,
तिरुवनंतपुरम - 695033
महोदया,

यहाँ इसके बाद विनिर्दिष्ट ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्यों के संबंध में विशेष विवरण, अभिकल्पना और मात्रा - अनुसूची की जाँच करने के पश्चात और उक्त ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्यों के स्थान को देखने और उसकी जाँच करने के बाद तथा निविदा को प्रभावित करने वाली अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, हम इसके द्वारा ऐसी सभी शर्तों के अनुरूप जो जिस रूप में लागू होगी, उक्त ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्यों को समय-ज्ञापन में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, संलग्न मात्रा - अनुसूची में उल्लिखित दरों पर तथा हर प्रकार से विनिर्देशों, अभिकल्पनाओं, रेखाचित्रों और निविदा की शर्तों में दिये गये लिखित अनुदेशों, "करार की शर्तों", विशेष शर्तों, मात्रा - अनुसूची और संविदा की शर्तों और उसके लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री के साथ आपूर्ति और कार्य का निष्पादन करने का प्रस्ताव करते हैं।

ज्ञापन

कार्यों का विवरण	बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम के बेसमेंट फ्लोर पर स्थित एसबीएस कमरा का नवीनीकरण
भुगतान की शर्तें/	सामान्य निर्देशों के खंड 32 और परिशिष्ट के अनुसार/
कार्यों को पूरा करने के लिए अनुमत समय/	स्वीकृति पत्र जारी होने के 10 वें दिन से 9 हफ्ते
अनुमानित लागत/	₹10.85 लाख. (जि.एस. टी के साथ)
बिल से प्रतिधारण धन के प्रति कितना प्रतिशत कटौती की जाएगी, यदि कोई हो/	हर बिल से 5% (कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का ज़्यादा से ज़्यादा 5%)।

यदि यह निविदा स्वीकृत होती है तो मैं/हम इसके द्वारा यहाँ इसके साथ संलग्न उक्त संविदा की शर्तों और उक्त शर्तों के उपबंधों का पालन करने और उस सीमा तक उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हूँ/ हैं जहां तक वे लागू हैं अथवा वैसा न कर पाने की स्थिति में उक्त शर्तों में उल्लिखित राशि ज़ब्त किये जाने और भारतीय रिजर्व बैंक को भुगतान करने के लिए सहमत हूँ।

हमारे बैंकर के ब्योरे निम्नानुसार हैं:

- i)
- ii)

भवदीय,
संविदाकार के हस्ताक्षर

खंड बी

निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश

1. **बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम के बेसमेंट फ्लोर पर स्थित एसबीएस कमरा का नवीनीकरण** कार्य के लिए आरबीआई पोर्टल के अंतर्गत एमएसटीसी पोर्टल पर ई-निविदा 28 जनवरी 2026 को अपराह्न 03:00 बजे तक जमा करना होगा। टेलीग्राफिक, फैक्स और ई-मेल से भेजे गए निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। 28 जनवरी 2026 को अपराह्न 03:00 बजे के बाद मिले किसी भी निविदा को एमएसटीसी पोर्टल द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. बोलीदाता अपनी शंकाओं के समाधान के लिए बैंक इंजीनियर से संपर्क कर सकते हैं। बैंक निविदाकर्ता द्वारा कोई भी अतिरिक्त शर्त रखने की अनुमति नहीं देता है। हालाँकि, यदि निविदाकर्ता कोई शर्त/स्पष्टीकरण शामिल करना चाहते हैं, तो उसे एमएसटीसी पोर्टल पर उनके पत्र शीर्ष पर अलग से अपलोड करना होगा। अपलोड किए गए स्पष्टीकरण/शर्तों आदि, यदि कोई हों, की जाँच की जाएगी और सभी निविदाकर्ता के साथ विचार-विमर्श के बाद, बैंक को स्वीकार्य शर्तों से निविदाकर्ता को अवगत कराया जाएगा। निविदा खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालाँकि, बोलीदाताओं द्वारा रखी गई शर्तों को स्वीकार करने का बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है।
3. बोलीदाता निर्धारित तिथि और समय पर बैंक के मुख्य कार्यालय में निविदा उद्घाटन समारोह में उपस्थित हो सकते हैं। निविदा 28 जनवरी 2026 को अपराह्न 04:00 बजे या उसके बाद की किसी तारीख और समय पर खोला जाएगा। इसकी जानकारी बोली लगाने वालों को दी जाएगी।
4. सभी सूचनाएं, पत्राचार पत्र श्रीमती सुजाता जे, प्रभारी महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम को भेजे जाएंगे और उनके पते पर भेजे जाएंगे।
5. निविदा, निविदा खोलने की तिथि से तीन महीने की अवधि तक बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी, जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है तथा निविदाकर्ता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं लेगा।
6. उद्धृत दरें निविदा की समाप्ति तक बिना किसी वृद्धि के, स्थिर और बाध्यकारी होंगी। एमएसटीसी पोर्टल पर मूल्य बोली में शब्दों की संख्या सीमित होने के कारण, पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं हो सकता है। हालाँकि, निविदाकर्ता को इस निविदा दस्तावेज़ से सभी विनिर्देशों/चित्रों/शर्तों को अवश्य पढ़ना होगा।
7. किसी भी वस्तु के लिए, यदि दर और राशि मात्रा के बिल के संबंध में मेल नहीं खाती है, तो उद्धृत दरों के आधार पर प्राप्त राशि पर ही विचार किया जाएगा।
8. इस निविदा के नियमों और शर्तों से स्वयं को परिचित कराने के लिए निविदा प्रस्तुत करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जा सकता है।
9. यदि कोई भी दस्तावेज़ गायब है, तो बैंक अपने विवेकानुसार निविदा को अमान्य मान सकता है। निविदा खोलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. 'ई-खरीद के लिए दिशानिर्देश' में सूचीबद्ध प्रक्रियाओं के अनुसार लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा। लेनदेन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता को ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुँच नहीं मिलेगी।

11. भारतीय रिज़र्व बैंक सबसे कम या किसी भी टेंडर को स्वीकार करने के लिए खुद को बाध्य नहीं करता है और बिना कोई कारण बताए, किसी भी या सभी टेंडर को, पूरे या कुछ हिस्से में, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास रखता है।

12. काम देने पर, सफल बोली लगाने वाले को कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए वैलिड, मंज़ूर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के 5% के बराबर परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) या ऑनलाइन मोड (NEFT / RTGS) से PBG के बराबर रकम जमा करनी होगी। अगर किसी ज़रूरी वजह से PBG/PBG के बराबर रकम जमा करने में देरी होती है, तो कॉन्ट्रैक्टर के बिल से बैंक रेट पर चार्ज वसूला जाएगा। सफल बोली लगाने वाले द्वारा दी गई PBG/रकम को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया सिक्योरिटी डिपॉज़िट (SD) के तौर पर रखेगा। इस डिपॉज़िट पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। बैंक उनके बिल/बिलों से किए गए काम की कुल कीमत का 5% रिटेंशन मनी के तौर पर काट लेगा। SD (PBG/PBG के बराबर रकम) कॉन्ट्रैक्टर को वर्चुअली पूरा होने पर जारी की जाएगी और R.M. 12 महीने के डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद जारी की जाएगी। अगर सफल टेंडर देने वाला और R.M. कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं, तो उनका सिक्योरिटी डिपॉज़िट ज़ब्त कर लिया जाएगा।

13.नियोक्ता से उसकी/उनकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल बोलीदाता संविदा को क्रियान्वित करने के लिए बाध्य होगा और उसके चौदह दिनों के भीतर सफल बोलीदाता मसौदा करार और शर्तों की अनुसूची के अनुसार एक करार पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति भारतीय रिज़र्व बैंक और निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी संविदा का गठन करेगी, चाहे ऐसा औपचारिक करार बाद में निष्पादित किया गया हो या नहीं।

14.इस संविदा की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को देय सभी मुआवजे या अन्य धन राशियों को सुरक्षा जमा से काटा जा सकता है, यदि राशि ऐसा करने की अनुमति देती है और ठेकेदार, जब तक कि ऐसी जमा राशि अन्यथा देय नहीं हो जाती है, ऐसी कटौती के बाद दस दिनों के भीतर नकद में कटौती की गई राशि की भरपाई करेगा।

15. ठेकेदार संविदा को किसी को नहीं सौंपेगा। वह बैंक की लिखित सहमति के बिना संविदा के किसी भी हिस्से को उप-किराए पर नहीं देगा। इन शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, बैंक ठेकेदार को संविदा रद्द करने का लिखित नोटिस दे सकता है, जिसके बाद बैंक द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि ज़ब्त कर ली जाएगी।

16. ठेकेदार को सभी कार्य बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्धारित डिज़ाइन, चित्र, विवरण, विनिर्देशों और निर्देशों के अनुसार ही करने होंगे। यदि बैंक के इंजीनियर की राय में डिज़ाइन में परिवर्तन करना आवश्यक हो और नियोक्ता की पूर्व लिखित स्वीकृति के साथ वे ठेकेदार से ऐसा करवाना चाहें, तो ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ऐसा करेगा। ऐसे मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और मध्यस्थता के लिए खुला नहीं होगा।

17. बोलीदाताओं के लिए इन निर्देशों के साथ प्रत्येक कार्य और विशिष्टताओं के संबंध में संभावित मात्राओं की एक अनुसूची भी दी गई है। संभावित मात्राओं की इस अनुसूची में बैंक के विवेकानुसार कुछ छूट, कटौती या वृद्धि की जा सकती है।

18. निविदाकर्ता को स्वयं अपनी जिम्मेदारी पर तथा अपने खर्च पर वह सभी सूचनाएं प्राप्त करनी होंगी जो निविदा बनाने तथा संविदा करने के लिए आवश्यक हों तथा उसे चित्रों (यदि कोई हों) की जांच करनी होगी तथा कार्य स्थल का निरीक्षण करना होगा तथा सभी स्थानीय स्थितियों, कार्य तक पहुंच के साधनों, कार्य की प्रकृति तथा उससे संबंधित सभी मामलों से स्वयं को परिचित करना होगा।

19. निविदा में उद्धृत दरों में कार्य शुरू होने से पहले और पूरा होने के बाद साइट की सफाई, सेंट्रिंग, बॉक्सिंग, स्टेजिंग, प्लैकिंग, संयंत्र और उपकरण, भंडारण शेड, रात में निगरानी और प्रकाश व्यवस्था के साथ-साथ रविवार और छुट्टियों सहित दिन, प्लंबिंग और बिजली आपूर्ति व्यवस्था के लिए अस्थायी लाइनें (बैंक के परिसर के भीतर उपलब्ध स्रोतों पर पानी और बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है), जनता की सुरक्षा और दीवारों, इमारतों और अन्य सभी निर्माणों, मामलों या चीजों की सुरक्षा के लिए सभी शुल्क शामिल होंगे और ठेकेदार किसी भी या सभी ऐसी सेंट्रिंग, मचान, स्टेजिंग आदि को हटा देगा और निकाल देगा, जैसा कि अवसर की आवश्यकता होगी या ऐसा करने का आदेश दिया जाएगा और कार्य के निष्पादन के दौरान और बैंक की संतुष्टि के लिए बाधित सभी मामलों और चीजों को पूरी तरह से बहाल और ठीक कर देगा। उद्धृत दरें साइट पर मापे जाने वाले तैयार कार्य के लिए मानी जाएंगी।

20. एमएसटीसी पोर्टल पर निविदा में प्रत्येक वस्तु के लिए दरें जीएसटी को छोड़कर उद्धृत की जाएंगी। जीएसटी सहित कुल राशि की गणना एमएसटीसी पोर्टल द्वारा की जाएगी और जीएसटी सहित सभी वस्तुओं की कुल राशि को कुल संविदा मूल्य माना जाएगा। प्रत्येक चालान/बिल में अन्य बातों के अलावा, ठेकेदार का पैन और जीएसटी पंजीकरण संख्या भी दर्शाई जाएगी। संविदा मूल्य पर भी कानून के अनुसार टीडीएस/विदहोलिंग टैक्स लगेगा। बिक्री कर, कार्य संविदा पर बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, चुंगी या अन्य कर, शुल्क या लेवी, सेवा कर, चाहे मौजूदा हो या भविष्य में, के संबंध में नियोक्ता द्वारा कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

21. मात्रा अनुसूची में मात्राएँ लगभग कार्य की कुल सीमा दर्शाती हैं, लेकिन किसी भी सीमा तक भिन्न हो सकती हैं और इन्हें छोड़ा भी जा सकता है, जिससे संविदा का कुल मूल्य बदल सकता है। हालाँकि, कार्य के वास्तविक निष्पादन के दौरान, यदि कार्य की किसी भी वस्तु की मात्रा निविदा मात्रा के 25% से अधिक हो जाती है, तो बैंक के इंजीनियर के प्राधिकार और नियोक्ता की सहमति से, निविदा मात्रा के 25% से अधिक निष्पादित ऐसी वस्तुओं की मात्रा को कार्य की एक अतिरिक्त वस्तु माना जाएगा, जिसके लिए ठेकेदार वास्तविक लागत के आधार पर किए गए दर विश्लेषण द्वारा समर्थित नई दरें प्रस्तुत करेंगे, साथ ही स्थापना शुल्क, ठेकेदार के उपरि व्यय और लाभ के लिए 15% अतिरिक्त देना होगा। कार्य की ऐसी सभी वस्तुओं की दरें, वर्तमान होने के कारण, निविदा में दिए गए वृद्धि सूत्र, यदि कोई हो, के अनुसार सामग्री और श्रम दरों की कीमतों में वृद्धि या कमी के कारण मूल्य समायोजन के लिए पात्र नहीं होंगी। यदि नियोक्ता के पूर्ण विवेक पर स्वीकृत निविदा से कार्य की किसी भी वस्तु को छोड़ दिया जाता है, तो ठेकेदार इस संबंध में किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा।

22. ज्ञापन में उल्लिखित कार्य को पूरा करने के लिए स्वीकृत समय का ठेकेदार द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा तथा कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश जारी होने के 10 वें दिन से इसकी गणना की जाएगी।

23. संविदा की निर्धारित अवधि के दौरान कार्य पूरी तत्परता से किया जाएगा और यदि ठेकेदार निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे संविदा की सामान्य शर्तों के खंड 27 में परिभाषित क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा। निविदाकर्ता को कार्य शुरू करने से पहले एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करनी होगी, जिसे नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। यदि ठेकेदार विस्तृत कार्य योजना के अनुसार कार्य जारी रखने में विफल रहता है या कार्य के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक श्रमिकों की तैनाती करने में विफल रहता है, तो बैंक के पास संविदा करार को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

24. निविदा पर केवल संबंधित व्यापार में बैंक द्वारा सूचीबद्ध ठेकेदारों की सूची से ही विचार किया जाएगा।

25. ठेकेदार कार्य शुरू करने या उसे पूरा करने में हुई देरी के कारण हुए किसी भी नुकसान के लिए किसी भी मुआवज़े का हकदार नहीं होगा, चाहे देरी का कारण कुछ भी हो, जिसमें उसे सौंपे गए कार्य में संशोधन या उससे संबंधित किसी उप-संविदा में हुई देरी, परियोजना के अन्य व्यवसायों के लिए ठेके देने में देरी, ऐसे कार्यों के शुरू या पूरा होने में देरी, सरकारी नियंत्रण वाली या अन्य निर्माण सामग्री की खरीद में देरी, निर्माण कार्यों के लिए पानी और बिजली के कनेक्शन प्राप्त करने में देरी या किसी भी अन्य कारण से हुई देरी शामिल है और नियोक्ता इसके संबंध में किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। नियोक्ता निविदा राशि के अलावा किसी भी राशि के लिए दायित्व स्वीकार नहीं करता है, बशर्ते कि इसमें दिए गए परिवर्तनों के अधीन हो।

26. सफल निविदाकर्ता कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए बाध्य है, भले ही ऐसी वस्तु मात्रा और दरों में शामिल न हों। ऐसी अतिरिक्त वस्तुओं और उनकी मात्राओं के संबंध में निर्देशों की अनुसूची बैंक के इंजीनियर द्वारा नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति से लिखित रूप में जारी की जाएगी।

27. सफल निविदाकर्ता को नियोक्ता द्वारा नियुक्त अन्य ठेकेदारों के साथ सहयोग करना होगा ताकि कार्य का निष्पादन कम से कम विलंब के साथ तथा बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के अनुसार सुचारू रूप से हो सके।

28. ठेकेदार को यह ध्यान रखना होगा कि सभी कार्य बैंक द्वारा निर्धारित विनिर्देशों, डिज़ाइन चित्रों और स्थानीय लोक प्राधिकरण तथा बैंक की आवश्यकताओं के अनुरूप ही किए जाएंगे और किसी भी प्रकार की चूक की अनुमति नहीं होगी। कार्य की गुणवत्ता कार्य विनिर्देशों के अनुसार बैंक के लिए संतोषजनक होनी चाहिए। ठेकेदार को निष्पादित कार्य की किसी भी निम्न गुणवत्ता के लिए बैंक से क्षतिपूर्ति करनी होगी।

29. सफल निविदाकर्ता को कार्य हेतु आवश्यक सभी सामग्री प्राप्त करने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। जहाँ तक संभव हो, सामग्री प्रथम/उच्च गुणवत्ता वाली और प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।

30. सफल निविदाकर्ता को आवश्यक सामग्री, जिसके लिए मद में "मूल मूल्य" निर्धारित किया गया है, बैंक द्वारा अनुमोदित और चयनित निर्माता से तथा समय-समय पर बैंक द्वारा अनुमोदित दर पर खरीदने के लिए बाध्य होना होगा।

31. जहाँ भी सामग्री के लिए मूल दर निर्दिष्ट की गई है, ठेकेदार को चयन के लिए सामग्री के 3 या 4 नमूने प्रस्तुत करने होंगे और चयनित वस्तुओं के लिए खरीद दर ऐसी सामग्री खरीदने से पहले बैंक के इंजीनियर से अनुमोदित करानी होगी। सामग्री का मूल मूल्य, जीएसटी को छोड़कर, डीलर के गोदाम-बाहर मूल्य पर सामग्री की लागत के रूप में लिया जाएगा। यदि निविदा में विनिर्दिष्ट मूल दर और चयनित सामग्री की लागत में कोई अंतर है, तो ठेकेदार को भुगतान करते समय इस अंतर को समायोजित किया जाएगा। सामग्री के मूल्य में समायोजन केवल मापी गई मात्रा पर ही किया जाएगा। इस अंतर पर ठेकेदार को 15% का लाभ दिया जाएगा। ठेकेदार को सामग्री की लागत में अंतर का निपटान करने के लिए, क्रय की वास्तविक दर का पता लगाने हेतु, बैंक को सभी खरीदी गई सामग्रियों के भुगतान किए गए बिल सत्यापन हेतु उपलब्ध कराने होंगे।

32. निविदाकर्ता को ई-निविदा खण्डों में निहित अनुमोदित ब्रांड और/या विनिर्माण की सामग्री की सूची में निर्दिष्ट निर्माताओं/निर्माताओं की सामग्री का उपयोग करना होगा।

33. परिसर के भीतर एक स्थान पर कार्य निष्पादन के लिए बिजली और पानी निः शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। ठेकेदार को आवश्यक स्थानों तक बिजली पहुँचाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। हालाँकि, ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि बिजली और पानी की अनावश्यक बर्बादी न हो। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए ठेकेदार को आवश्यक सुरक्षा उपाय करने होंगे। यदि इस मामले में ठेकेदार की ओर से कोई लापरवाही बरती जाती है, तो बैंक द्वारा ठेकेदार को दंडित किया जाएगा।

34. ठेकेदार को संलग्न सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा संहिता के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा।

35. निविदा में जहाँ भी आईएस कोड संख्या का उल्लेख किया गया है, वह निविदा खुलने की तिथि के अनुसार नवीनतम संस्करण होगी।

36. सफल निविदाकर्ता की सम्पूर्ण सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी यदि वह/वे निविदा की किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहते हैं।

37. त्रुटियाँ, चूक और विवरण:-

- a) सामान्य विनिर्देशों में मद के वर्णन और उसी मद की मात्रा अनुसूची में विस्तृत वर्णन के बीच, बाद वाले को अपनाया जाएगा।

- b) अंकों और शब्दों में उल्लिखित दरों में अंतर होने की स्थिति में, मूल निविदा प्रपत्र में वस्तु की कुल राशि की गणना के लिए अपनाई गई दर को ही सही माना जाएगा। अन्य सभी मामलों में, सही दर वह होगी जो कम हो।

38. निविदा प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक सामान्य शर्तों, विशेष शर्तों, कार्यक्षेत्र, विनिर्देशों, डिज़ाइन और चित्रों या किसी अन्य मामले के संबंध में स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, निविदा प्रस्तुत करने से पहले बैंक के कार्य समय के दौरान बैंक से प्राप्त किया जाना चाहिए। निविदा प्रस्तुत होने के बाद, ऐसे प्रामाणिक पूर्व-स्पष्टीकरण के अभाव में, निविदा में दी गई शर्तों के अनुसार मामले का निर्णय लिया जाएगा।

39. ठेकेदार को ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित सभी आवश्यकताओं का पालन और पूर्ति करनी होगी। ठेकेदार को बैंक को एक दिन में काम पर लगाए जाने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या प्रस्तुत करनी होगी। बाद में किसी भी वृद्धि की सूचना बैंक को अविलंब देनी होगी। यदि काम के लिए नियोजित श्रमिकों की संख्या बीस या उससे अधिक है, तो ठेकेदार को क्षेत्रीय श्रम आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। ठेकेदार को अपने द्वारा नियोजित सभी श्रमिकों/कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना होगा और काम के लिए नियोजित श्रमिकों का रिकॉर्ड रखना होगा।

40. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेश/निदेश, और साथ ही कोविड-19 महामारी के संबंध में बैंक द्वारा बैंक में तैनात कर्मचारियों द्वारा ईमानदारी से पालन किया जाए। नियंत्रण क्षेत्र या संगरोध के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को काम के लिए तैनात नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, आपको बैंक में तैनात कर्मचारियों की बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है और यदि किसी कर्मचारी/कर्मचारी के परिवार के सदस्य को 'कोविड' संक्रमित पाया जाता है, तो तुरंत कर्मचारियों को बदलने की कार्रवाई की जानी चाहिए। जब वे तैनात रहें तो कर्मचारियों को सख्त सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करने के लिए संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। आप उन्हें बिना किसी अतिरिक्त लागत के आवश्यक दस्ताने, मास्क, सैनिटाइज़र आदि प्रदान करेंगे। इसके अलावा, आप उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में आपकी विफलता, गलती या लापरवाही से उत्पन्न होने वाली किसी भी वित्तीय/कानूनी देनदारी से बैंक को क्षतिपूर्ति करेंगे और क्षतिपूर्ति करते रहेंगे।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने निविदाकर्ता के मार्गदर्शन के लिए उपरोक्त अनुदेशों को पढ़ और समझ लिया है तथा उन्हें स्वीकार करता/करते हूँ।

तारीख :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर मुहर सहित।

स्थान :

नाम और पता:

संविदा की सामान्य शर्तें

इसमें पूर्व में उल्लिखित शर्तें

- इन शर्तों, विनिर्देश, मात्राओं की अनुसूची और अनुबंध समझौते के निर्माण में, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ उनके लिए निर्धारित अर्थ होगा, सिवाय इसके कि जहां विषय या संदर्भ अन्यथा अपेक्षित हो।

क) "नियोक्ता"	इसका तात्पर्य क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, तिरुवनंतपुरम से होगा तथा इसमें उसके समनुदेशिनी और उत्तराधिकारी भी शामिल होंगे।
ख) मामले में "ठेकेदार" कंपनी का	"ठेकेदार का अर्थ _____ से होगा, जो _____ 19__/20__ के अंतर्गत निगमित कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ में है और इसमें उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे।
ग) "बैंक इंजीनियर"	'शैल' का तात्पर्य नियोक्ता द्वारा संविदा के प्रयोजन के लिए बैंक के इंजीनियर के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त व्यक्ति से है और शर्तों में इस रूप में नामित है। [एएम (टेक)/ प्रबंधक (टेक)/ एजीएम (टेक)]।
घ) "साइट"	इसका तात्पर्य संविदा कार्य के स्थल से होगा, जिसमें कोई भवन और उस पर निर्माण तथा कोई अन्य भूमि (सम्मिलित रूप से) शामिल है, जैसा कि पूर्वोक्त रूप से नियोक्ता द्वारा ठेकेदार के उपयोग के लिए आवंटित किया गया है।
ङ) "यह संविदा "	इसका तात्पर्य संविदा का अनुच्छेद, विशेष शर्तें, शर्तें, परिशिष्ट, मात्राओं और विनिर्देशों की अनुसूची, इसके साथ संलग्न और विधिवत हस्ताक्षरित डिजाइन चित्र से होगा।
च) "विनिर्देश "	इसका तात्पर्य अनुबंध में शामिल कार्यों के विनिर्देशन और उसमें ठेकेदार द्वारा किया गया या प्रस्तुत किया गया तथा इंजीनियर द्वारा अनुमोदित कोई संशोधन या परिवर्धन से है।

छ) "लिखित सूचना"

इसका अभिप्राय लिखित, टंकित या मुद्रित या लिखित सूचना" अक्षरों में भेजा गया नोटिस होगा (जब तक कि व्यक्तिगत रूप से वितरित न किया गया हो, अन्यथा यह सिद्ध हो जाए कि वह प्राप्त हो गया है) जो पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्तकर्ता के अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते या पंजीकृत कार्यालय को भेजा गया हो और उसे उस समय प्राप्त हुआ समझा जाएगा जब डाक के सामान्य क्रम में उसे वितरित किया जाता।

ज) "मात्राओं की अनुसूची"

इसका तात्पर्य निविदा का हिस्सा बनने वाली मात्राओं की कीमत और पूर्ण अनुसूची से है

झ) "निविदा"

इसका अर्थ है, ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को कार्य के निष्पादन और समापन तथा अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार उसमें किसी भी दोष के निवारण के लिए दिया गया मूल्य प्रस्ताव, जैसा कि स्वीकृति पत्र द्वारा स्वीकार किया गया है।

ञ) "स्वीकृति के पत्र"

इसका अर्थ है निविदा की नियोक्ता द्वारा औपचारिक स्वीकृति

ट) "दिवालियापन अधिनियम"

इसका अभिप्राय प्रेसीडेंसी टाउन दिवालियेपन अधिनियम, या प्रांतीय दिवालियेपन अधिनियम या ऐसे मूल अधिनियम में संशोधन करने वाले किसी अधिनियम द्वारा परिभाषित किसी दिवालियेपन अधिनियम से होगा।

ठ) "शुद्ध मूल्य"

यदि संविदा राशि निर्धारित करते समय ठेकेदार ने निविदा में दी गई कुल मदों में प्रतिशत या अन्य रूप से कोई राशि जोड़ी या घटाई है, तो उनकी निविदा में किसी भी वस्तु का शुद्ध मूल्य, निविदा में दर्शाए गए वास्तविक आंकड़ों में उस वस्तु के मूल्य के समान प्रतिशत या आनुपातिक राशि जोड़कर या घटाकर प्राप्त राशि होगी। बशर्ते कि ठेकेदार द्वारा इस प्रकार जोड़ी या घटाई गई राशि का प्रतिशत या अनुपात निर्धारित करते समय, किसी भी मूल लागत मदों और अनंतिम धनराशि की कुल राशि को निविदा की कुल राशि से घटाया जाएगा। संविदा या खाते के संदर्भ में प्रयुक्त "शुद्ध दरें" या "शुद्ध मूल्य" का अर्थ इस प्रकार प्राप्त दरें या मूल्य ही माना जाएगा।

ड) "कार्य"

तात्पर्य है बैंक के ऑफिसर्स क्वार्टर्स, कवडियार, तिरुवनंतपुरम में बेलहेवन पैलेस बिल्डिंग में स्थित आगतुंक अधिकारी फ्लैट्स (4 और 5) का नवीयन।

जैसा कि यहां प्रदान किया गया है

नोट: जिन शब्दों में व्यक्ति शामिल हैं, उनमें फर्म और कॉर्पोरेशन शामिल हैं। जिन शब्दों में सिर्फ एकवचन शामिल है, उनमें बहुवचन भी शामिल है और जहाँ संदर्भ की ज़रूरत हो, वहाँ बहुवचन भी शामिल है।

2. **संविदा का दायरा :** ठेकेदार उक्त कार्य को हर दृष्टि से इस अनुबंध के अनुसार और बैंक इंजीनियर के निर्देशों और उनकी संतुष्टि के अनुसार पूरा करेगा। बैंक इंजीनियर अपने पूर्ण विवेक से और समय-समय पर अतिरिक्त चित्र और/या लिखित निर्देश, विवरण, निर्देश और स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जिन्हें आगे सामूहिक रूप से "निम्नलिखित के संबंध में बैंक इंजीनियर के निर्देश" कहा जाएगा:

- डिजाइन, गुणवत्ता या कार्यों में बदलाव या संशोधन या किसी भी कार्य में जोड़ या लोप या प्रतिस्थापन।
- ड्राइंग में या मात्राओं की अनुसूची और/या ड्राइंग और/या विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति।
- ठेकेदार द्वारा वहां लाई गई किसी भी सामग्री को साइट से हटाना तथा उसके स्थान पर किसी अन्य सामग्री को प्रतिस्थापित करना।
- ठेकेदार द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य को हटाना और/या पुनः निष्पादित करना।
- उस पर नियोजित किसी भी व्यक्ति की कार्य से बर्खास्तगी।
- किसी भी छिपे हुए कार्य के निरीक्षण के लिए द्वार खुलना।
- इसके खंड 20 और 21 के अंतर्गत किसी भी दोष को संशोधित करना और उसे ठीक करना।

ठेकेदार को बैंक इंजीनियर के निर्देशों में शामिल किसी भी कार्य का तुरंत अनुपालन करना होगा और उसे विधिवत निष्पादित करना होगा, बशर्ते कि बैंक इंजीनियर द्वारा ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को कार्यों के संबंध में दिए गए मौखिक निर्देश, निर्देश और स्पष्टीकरण, यदि उनमें कोई परिवर्तन शामिल है, तो ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी, ऐसे निर्देश अनुबंध के दायरे में नियोक्ता के निर्देश माने जाएंगे।

3. **नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले परिवर्तन:** ठेकेदार को दरों, वाउचर आदि के विश्लेषण द्वारा समर्थित मात्रा और दरों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। नियोक्ता द्वारा जाँच और अंतिम स्वीकृति के बाद प्राप्त दरें एक पूरक निविदा का रूप लेंगी। चित्रों के संबंध में निष्पादन के दौरान साइट की स्थितियों के अनुसार मामूली परिवर्तन (कुछ सेंटीमीटर के क्रम के) किए जा सकते हैं। नियोक्ता ऐसे परिवर्तनों के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि इन विवरणों को नियोक्ता द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता।

4. **चित्र, मात्राओं की अनुसूची:** संविदा दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा और बैंक इंजीनियर, नियोक्ता और ठेकेदार अपने उपयोग के लिए प्रत्येक की एक निष्पादित प्रति प्राप्त करने के हकदार होंगे। इस पर हस्ताक्षर करने पर, बैंक इंजीनियर ठेकेदार को उक्त प्रत्येक आरेखण (यदि कोई हो) और विनिर्देश की एक प्रति और कार्य के दौरान जारी किए गए सभी आगे के आरेखणों (यदि कोई हो) की एक प्रति निःशुल्क प्रदान करेगा। ठेकेदार द्वारा ऐसे आरेखणों की किसी भी अतिरिक्त प्रति की आवश्यकता होने पर, ठेकेदार को उसका भुगतान करना होगा। ठेकेदार कार्य से संबंधित सभी आरेखणों की एक प्रति अपने पास रखेगा और बैंक इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि को सभी उचित समय पर उस तक पहुँच प्राप्त होगी। ठेकेदार को अंतिम प्रमाणपत्र जारी करने से पहले, उसे तुरंत सभी आरेखण और विनिर्देश बैंक इंजीनियर को वापस करने होंगे।

5. **ठेकेदार को अपनी लागत पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी:** ठेकेदार को ड्राइंग के उद्देश्य और अर्थ के अनुसार कार्य के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक सभी चीज़ें अपने खर्च पर उपलब्ध करानी होंगी। मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देशों को साथ में लिया जाएगा, चाहे वे उसमें विशेष रूप से दर्शाए या वर्णित हों या नहीं, बशर्ते कि उनसे उनका उचित अनुमान लगाया जा सके और यदि ठेकेदार को ड्राइंग में या ड्राइंग, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति मिलती है, तो

वह तुरंत और लिखित रूप में बैंक के इंजीनियर को इसकी सूचना देगा, जो निर्णय लेगा कि किसका पालन किया जाए। ड्राइंग और विनिर्देशों/मात्राओं की अनुसूची के बीच, मात्राओं की अनुसूची ही मान्य होगी।

6. प्राधिकारी, सूचनाएँ और पेटेंट : ठेकेदार को कार्य से संबंधित विधानमंडल के किसी अधिनियम के प्रावधानों और किसी भी प्राधिकारी, किसी भी जल, विद्युत आपूर्ति और अन्य कंपनियों और/या प्राधिकारियों, जिनकी प्रणालियों से संरचना को जोड़ा जाना प्रस्तावित है, के नियमों और उपनियमों का पालन करना होगा, और चित्रों (यदि कोई हो) या विनिर्देशों में कोई भी परिवर्तन करने से पहले, जो इस प्रकार आवश्यक हो, बैंक के इंजीनियर को लिखित सूचना देनी होगी, जिसमें प्रस्तावित परिवर्तन और उसके कारण का उल्लेख होगा और उस पर निर्देश के लिए आवेदन करना होगा। यदि ठेकेदार को दस दिनों के भीतर ऐसे निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं, तो वह संबंधित प्रावधानों, नियमों या उपनियमों के अनुसार कार्य को आगे बढ़ाएगा, और इस प्रकार आवश्यक किसी भी परिवर्तन पर धारा 18 के अंतर्गत विचार किया जाएगा। उसके।

ठेकेदार को उक्त अधिनियमों, विनियमों या उप-नियमों द्वारा किसी प्राधिकारी को दी जाने वाली सभी सूचनाएँ नियोजक के ध्यान में लानी होंगी तथा ऐसे प्राधिकारी या किसी सार्वजनिक कार्यालय को कार्यों के संबंध में उचित रूप से प्रभार्य सभी फीस का भुगतान करना होगा तथा नियोजक के पास रसीदें जमा करनी होंगी।

ठेकेदार, पेटेंट अधिकारों के संबंध में सभी दावों के विरुद्ध नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाईयों का बचाव करेगा तथा स्वयं सभी रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, क्षति लागत तथा सभी प्रकार के प्रभारों का भुगतान करेगा जो कानूनी रूप से उसके संबंध में व्यय किए जा सकते हैं।

7. कार्य की रूपरेखा : संविदाकार कार्य की रूपरेखा तैयार करेगा और उसकी सही और सटीक रूपरेखा के लिए ज़िम्मेदार होगा, साथ ही सभी भागों की स्थिति, स्तर, सीधापन/ऊर्ध्वाधरता और संरेखण की शुद्धता के लिए भी ज़िम्मेदार होगा और कार्य शुरू करने से पहले उसकी स्वीकृति भी ले लेगा। यदि संविदाकार अपनी भूमिका निभाने में विफल रहता है, तो बैंक/नियोक्ता की संतुष्टि के लिए किसी भी त्रुटि/दोष को उसके स्वयं के व्यय पर ठीक किया जाएगा।

8. सामग्री और कारीगरी विवरण के अनुरूप होनी चाहिए : सभी सामग्री और कारीगरी, जहाँ तक संभव हो, मात्रा अनुसूची और/या विनिर्देशों में वर्णित संबंधित प्रकार की और बैंक इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए, और संविदाकार बैंक इंजीनियर के अनुरोध पर उसे सभी चालान, खाते, रसीदें और अन्य वाउचर प्रदान करेगा ताकि यह साबित हो सके कि सामग्री विवरण के अनुरूप है। संविदाकार को कार्य में उपयोग से पहले, संबंधित आईएस प्रावधानों के अनुसार किसी भी सामग्री का परीक्षण अपने खर्च पर प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं में करवाना होगा और/या करवाना होगा।

9. कार्यों पर संविदाकार का अधीक्षण और प्रतिनिधि : संविदाकार, कार्यों के निष्पादन के दौरान और उसके बाद जब तक बैंक इंजीनियर आवश्यक समझे, परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष दायित्व अवधि" की समाप्ति तक, सभी आवश्यक व्यक्तिगत अधीक्षण प्रदान करेगा। संविदाकार, कार्य प्रगति पर रहने की पूरी अवधि के दौरान एक सक्षम, योग्य और अनुभवी इंजीनियर को भी नियुक्त करेगा, जो कर्मचारियों के कार्य करते समय निरंतर कार्य स्थल पर उपस्थित रहेगा। बैंक इंजीनियर द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिए गए कोई भी निर्देश, स्पष्टीकरण, निर्देश या सूचनाएँ संविदाकार को दी गई मानी जाएँगी।

10. कामगारों की बर्खास्तगी : संविदाकार बैंक के इंजीनियर के अनुरोध पर, कार्य पर अपने द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को तुरंत कार्य से बर्खास्त कर देगा, जो बैंक के इंजीनियर की राय में, अयोग्य हो या स्वयं कदाचारी हो और ऐसे व्यक्तियों को परामर्शदाता की अनुमति के बिना कार्य पर पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा।

11.कार्य तक पहुँच : नियोक्ता, बैंक के इंजीनियर और उनके संबंधित प्रतिनिधियों को सभी उचित समय पर कार्य स्थल और/या कार्यशालाओं, कारखानों या अन्य स्थानों पर जहाँ सामग्री रखी है या जहाँ से उसे प्राप्त किया जा रहा है, स्वतंत्र रूप से प्रवेश की अनुमति होगी और संविदाकार नियोक्ता, बैंक के इंजीनियर और उनके प्रतिनिधियों को सामग्री और कारीगरी के निरीक्षण, जाँच और परीक्षण के लिए आवश्यक सभी सुविधाएँ प्रदान करेगा। सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को छोड़कर, नियोक्ता या बैंक के इंजीनियर द्वारा अधिकृत न किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कार्य स्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12.सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/ प्रबंधक (तकनीकी): "सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/ प्रबंधक (तकनीकी)" शब्द का अर्थ नियोक्ता द्वारा कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त और भुगतान किया गया व्यक्ति होगा। संविदाकार सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/ प्रबंधक (तकनीकी) को कार्यों और सामग्रियों का निरीक्षण करने और समय और सामग्रियों की जाँच और माप के लिए हर सुविधा और सहायता प्रदान करेगा।

सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी), या नियोक्ता को संविदाकार या उसके प्रतिनिधि को किसी कार्य या सामग्री के अनुमोदन न होने की सूचना देने का अधिकार होगा और ऐसा कार्य निलंबित कर दिया जाएगा, या ऐसी सामग्री का उपयोग बंद कर दिया जाएगा। सहायक प्रबंधक (तकनीकी) द्वारा समय-समय पर कार्य की जाँच की जाएगी, लेकिन ऐसी जाँच किसी भी तरह से संविदाकार को किसी भी दोष को दूर करने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी, जो कार्य के किसी भी चरण में या कार्य पूरा होने के बाद पाया जा सकता है। इस खंड की सीमाओं के अधीन, संविदाकार केवल बैंक के इंजीनियर से ही निर्देश लेगा।

13.समनुदेशन और उप-पट्टा : संविदा में सम्मिलित समस्त कार्य संविदाकार द्वारा निष्पादित किया जाएगा और संविदाकार, नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना संविदा या उसके किसी भाग या उसमें किसी हित को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित, समनुदित या कम-पट्टे पर नहीं देगा और ऐसा न करने पर संविदाकार संविदा की पूर्ण और सम्पूर्ण जिम्मेदारी से या कार्यों की प्रगति के दौरान उनके सक्रिय अधीक्षण से मुक्त हो जाएगा।

14.परिवर्तन, परिवर्धन, चूक आदि: कोई भी परिवर्तन, चूक या परिवर्तन इस अनुबंध को अमान्य नहीं करेगा, सिवाय इसके कि नियोक्ता (बैंक के इंजीनियर के माध्यम से) द्वारा कार्य के दौरान किसी भी समय कार्य में कोई परिवर्तन, परिवर्धन या चूक करने या उसमें प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता में कोई परिवर्तन करने के निर्देश/सूचना दी जाए और इसकी लिखित सूचना संविदाकार को अपने हस्ताक्षर सहित दी जाए। संविदाकार ऐसी सूचना के अनुसार, जैसा भी मामला हो, परिवर्तन करेगा, उसमें वृद्धि करेगा या उसमें से कुछ हटाएगा, लेकिन संविदाकार संविदा के किसी भी प्रावधान से कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करेगा, न ही कार्य में कोई परिवर्तन, परिवर्धन या चूक करेगा या संविदा के किसी भी प्रावधान से कोई विचलन करेगा। नियोक्ता की लिखित में पूर्व सहमति के बिना शर्तों, विनिर्देशों या संविदा चित्रों और ऐसे अतिरिक्त परिवर्तनों, परिवर्धन या चूक का मूल्य, सभी मामलों में, नियोक्ता द्वारा खंड 18 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, और इसे अनुबंध राशि में जोड़ा जाएगा, या उससे घटाया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

15.मात्राओं की अनुसूची: मात्राओं की अनुसूची, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, प्रासंगिक आईएस कोड में निर्दिष्ट माप की मानक विधि के अनुसार तैयार की गई मानी जाएगी।

विवरण या मात्रा में कोई त्रुटि या मात्राओं की अनुसूची से मदों की चूक इस संविदा को रद्द नहीं करेगी, बल्कि उसे सुधारा जाएगा और उसका मूल्य, जैसा कि खंड 17 के तहत निर्धारित किया गया है, संविदा

राशि में जोड़ा जाएगा, या घटाया जाएगा (जैसा भी मामला हो) बशर्ते कि त्रुटियों का कोई सुधार, यदि कोई हो, संविदाकार की दरों की अनुसूची में अनुमति नहीं दी जाएगी।

16. मात्रा अनुसूची की पर्याप्तता: यह माना जाएगा कि संविदाकार ने निविदा देने से पहले कार्यों के लिए अपनी निविदा की शुद्धता और पर्याप्तता तथा मात्रा अनुसूची और/या दरों और कीमतों की अनुसूची में उल्लिखित मूल्यों के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है, जो दरें और मूल्य अनुबंध के तहत उसके सभी दायित्वों और कार्यों के उचित समापन के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को कवर करेंगे।

17. कार्यों का मापन: बैंक का इंजीनियर समय-समय पर संविदाकार को सूचित कर सकता है कि उसे कार्यों का मापन करवाना है, और संविदाकार तुरन्त उपस्थित होगा या सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) को ऐसे मापन और गणना करने में सहायता करने के लिए एक योग्य एजेंट भेजेगा और सभी विवरण प्रस्तुत करेगा या उनमें से किसी के द्वारा अपेक्षित सभी सहायता देगा।

यदि संविदाकार उपस्थित नहीं होता है या ऐसे एजेंट को भेजने में लापरवाही बरतता है या चूक करता है, तो बैंक के इंजीनियर या उसके द्वारा अनुमोदित किसी व्यक्ति द्वारा लिया गया माप ही कार्य का सही माप माना जाएगा। ये माप नवीनतम प्रासंगिक आईएस अभ्यास संहिताओं में वर्णित माप पद्धति के अनुसार लिए जाएंगे।

संविदाकार या उसका एजेंट माप के समय ऐसे नोट्स और माप ले सकता है, जिनकी उसे आवश्यकता हो।

बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार किए गए सभी अधिकृत अतिरिक्त कार्य, चूक और सभी परिवर्तन, जिन्हें बाद में लिखित रूप में सूचित किया गया हो (नियोक्ता की पूर्व लिखित स्वीकृति के साथ) ऐसे मापों में शामिल किए जाएंगे।

18 अतिरिक्त आदि के निर्धारण के लिए मूल्य : संविदाकार, नियोक्ता द्वारा अधिकृत और लिखित निर्देश दिए जाने पर, चित्रों में दर्शाए गए या विनिर्देश में वर्णित या मात्राओं की अनुसूची में शामिल कार्यों में कुछ जोड़, घटा या परिवर्तित कर सकता है, लेकिन संविदाकार ऐसे प्राधिकरण या निर्देश के बिना कोई जोड़, घटा या परिवर्तित नहीं करेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा मौखिक प्राधिकरण या निर्देश, यदि सात दिनों के भीतर लिखित रूप में उनकी पुष्टि कर दिया जाता है, तो उसे लिखित रूप में दिया गया माना जाएगा।

हालांकि, काम के वास्तविक निष्पादन के दौरान यदि काम की किसी भी वस्तु की मात्रा निविदा मात्रा से 25% से अधिक है, तो परियोजना के आर्किटेक्ट्स के प्राधिकार द्वारा नियोक्ता की सहमति से निविदा मात्रा के 25% से अधिक निष्पादित ऐसी वस्तुओं की मात्रा को काम की एक अतिरिक्त वस्तु के रूप में माना जाएगा, जिसके लिए संविदाकार वास्तविक लागत के आधार पर किए गए दर विश्लेषण द्वारा समर्थित नई दरें प्रस्तुत करेंगे, साथ ही स्थापना शुल्क, संविदाकार के ओवरहेड और लाभ के लिए 15% भी जोड़ना होगा। काम की ऐसी सभी वस्तुओं की दरें, वर्तमान होने के कारण, निविदा में दिए गए वृद्धि सूत्र, यदि कोई हो, के अनुसार सामग्री और श्रम दरों की कीमतों में वृद्धि या कमी के कारण मूल्य समायोजन के लिए पात्र नहीं होंगी।

किसी अतिरिक्त के लिए कोई दावा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह इस अधिनियम के खंड 5 के प्रावधानों के अंतर्गत यहाँ उल्लिखित नियोक्ता की सहमति से निष्पादित न किया गया हो। यहाँ उल्लिखित किसी भी अतिरिक्त को अधिकृत माना जाएगा और निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

- a) (i) मूल निविदा में शुद्ध दरें या कीमतें अतिरिक्त कार्य का मूल्यांकन निर्धारित करेंगी, जहां ऐसा अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति का हो और उसमें मूल्यांकित कार्य के समान शर्तों के तहत निष्पादित किया गया हो।
- (ii) सभी वस्तुओं के लिए दरें, जहां तक संभव हो, मात्राओं की मूल्य अनुसूची में दी गई दरों से निकाली जानी चाहिए।

- b) मूल निविदा की शुद्ध कीमतें छोड़ी गई मदों का मूल्य निर्धारित करेंगी, बशर्ते कि यदि चूक से उन शर्तों में भिन्नता आती है जिनके तहत कार्यों की कोई शेष मदें की जाती हैं, तो उनके लिए कीमतों का मूल्यांकन उप-खंड (सी) के तहत किया जाएगा।
- c) जहां अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति के नहीं हैं और/या पूर्वोक्त समान शर्तों के अंतर्गत उद्धृत नहीं किए गए हैं या जहां चूक उन शर्तों को भिन्न करती है जिनके अंतर्गत कार्य की कोई शेष मदें की जाती हैं या यदि संपूर्ण संविदा कार्य या उसके किसी भाग की राशि के सापेक्ष किसी चूक या वृद्धि की राशि ऐसी है कि बैंक के इंजीनियर की राय में, मात्राओं की मूल्यांकित अनुसूची या निविदा में या कार्य की किसी मद के लिए निहित शुद्ध दर या कीमत में संविदाकार द्वारा उचित रूप से परिकल्पित हानि या व्यय से अधिक हानि या व्यय शामिल है या ऐसी चूक या वृद्धि के कारण अनुचित या अनुपयुक्त हो जाती है, तो बैंक का इंजीनियर ऐसी अन्य दर या कीमत तय करेगा, जिसे वह परिस्थितियों में उचित और उचित समझे, नियोक्ता के लिखित में पूर्व अनुमोदन के साथ।
- d) जहाँ अतिरिक्त कार्य का उचित मापन या मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, वहाँ संविदाकार को निविदा या मूल्यांकित अनुसूची या मात्राओं में उल्लिखित शुद्ध दरों के अनुसार दैनिक कार्य मूल्य दिए जाएंगे, या यदि ऐसा नहीं कहा गया है, तो जिले के स्थानीय दैनिक कार्य दरों और मजदूरी के अनुसार, बशर्ते कि दोनों ही स्थितियों में दैनिक समय (कर्मचारियों के नाम) और प्रयुक्त सामग्री निर्दिष्ट करने वाले वाउचर, कार्य पूरा होने के अगले सप्ताह के अंत तक या उससे पहले बैंक के इंजीनियर को सत्यापन के लिए सौंप दिए जाए। संविदा के संबंध में मापन और मूल्यांकन "अंतिम माप की अवधि" के भीतर पूरा किया जाएगा।
- e) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी सभी प्राधिकृत अतिरिक्त वस्तुओं के लिए, जहाँ दरें निविदा से प्राप्त नहीं की जा सकतीं, संविदाकार को सीपीडब्ल्यूडी की दर विश्लेषण अनुसूची के आधार पर तैयार किए गए दर विश्लेषण द्वारा समर्थित दरें प्रस्तुत करनी होंगी, या सीपीडब्ल्यूडी अनुसूची में उपलब्ध न होने वाली वस्तुओं के लिए, "वास्तविक लागत आधार" के साथ बाजार दर पर आधारित, स्थापना शुल्क, संविदाकार के उपरिव्यय और लाभ के लिए 15% अतिरिक्त दरें प्रस्तुत करनी होंगी। ऐसी वस्तुओं पर वृद्धि नहीं की जाएगी।

19. अनिश्चित सामग्री की गणना करने पर नियोक्ता की संपत्ति माना जाएगा:

जहाँ किसी प्रमाणपत्र में (जिसके लिए संविदाकार को भुगतान प्राप्त हो चुका है) बैंक के इंजीनियर ने कार्य के लिए और/या कार्य पर या उसके आस-पास रखी गई किसी भी अनिर्धारित सामग्री का मूल्य शामिल किया है, ऐसी सामग्री नियोक्ता की संपत्ति बन जाएगी और नियोक्ता के लिखित प्राधिकार के बिना, कार्य पर उपयोग के अलावा उसे हटाया नहीं जाएगा। ऐसी सामग्री के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए संविदाकार उत्तरदायी होगा।

20. अनुचित कार्य को हटाना : नियोक्ता को, कार्य के दौरान, समय-समय पर लिखित रूप में आदेश देने का अधिकार होगा कि वह आदेश में निर्दिष्ट उचित समय या समयों के भीतर, ऐसी किसी भी सामग्री को कार्य से हटा दे जो बैंक के इंजीनियर की राय में विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है, उचित सामग्री को प्रतिस्थापित करे, और ऐसी सामग्री या कारीगरी से निष्पादित किसी भी कार्य को हटा दे और उचित तरीके से पुनः निष्पादित करे जो चित्रों (यदि कोई हो) और विनिर्देशों या निर्देशों के अनुरूप न हो और संविदाकार ऐसे आदेश का अपने खर्चे पर तुरंत पालन करेगा। यदि संविदाकार ऐसे आदेश का पालन करने में चूक करता है, तो नियोक्ता को उसे पूरा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को वेतन पर नियुक्त करने का अधिकार होगा; और उसके परिणामस्वरूप या उसके आनुषंगिक सभी व्यय संविदाकार द्वारा वहन किए जाएंगे, या नियोक्ता द्वारा संविदाकार को देय या देय होने वाली किसी भी राशि से काट लिए जा सकते हैं।

21. वास्तविक कार्य पूर्ण होने के बाद दोष : कोई भी दोष, सिकुड़न, समायोजन या अन्य दोष जो परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष दायित्व अवधि" के भीतर प्रकट हो सकता है, या यदि किसी ने इनका उल्लेख नहीं किया है तो कार्य के वास्तविक कार्य पूर्ण होने के बारह महीनों के भीतर, जो नियोक्ता की राय में अनुबंध के अनुरूप न होने वाली कारीगरी की सामग्री से उत्पन्न होता है, नियोक्ता के लिखित निर्देश पर, और उसमें निर्दिष्ट उचित समय के भीतर, संविदाकार द्वारा अपने खर्च पर संशोधित और ठीक किया जाएगा और चूक की स्थिति में नियोक्ता ऐसे दोषों, सिकुड़न समायोजन या अन्य दोषों को संशोधित करने और ठीक करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त और भुगतान कर सकता है, और इसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी नुकसान, हानि और व्यय जो इसके आनुषंगिक हैं, उन्हें नियोक्ता द्वारा ठीक किया जाएगा और वहन किया जाएगा या बैंक के इंजीनियर के लिखित प्रमाण पत्र पर नियोक्ता द्वारा संविदाकार को देय किसी भी धनराशि से काट लिया जाएगा या जो संविदाकार को देय हो सकती है, या नियोक्ता संविदाकार द्वारा ऐसे संशोधन और समायोजन के बदले में संविदाकार को देय किसी भी धनराशि से एक राशि काट सकता है, जिसे नियोक्ता द्वारा समकक्ष निर्धारित किया जाएगा। ऐसे कार्य में संशोधन की लागत और इस धारा के तहत रखी गई राशि के अपर्याप्त होने की स्थिति में, संविदाकार से शेष राशि वसूल की जाएगी, साथ ही नियोक्ता द्वारा इसके संबंध में किए गए किसी भी खर्च की भी वसूली की जाएगी। यदि कार्यों पर नियोजित किसी उप-संविदाकार द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया है या सामग्री की आपूर्ति की गई है, जिसे इस धारा के तहत खंड 13 और 23 के तहत नामित किया गया है, तो संविदाकार उसी तरह से ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि ऐसा कार्य या सामग्री संविदाकार द्वारा की गई थी या आपूर्ति की गई थी और इस धारा और इस धारा के खंड 2 के प्रावधान के अधीन थी। नियोक्ता द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने या किसी भी खाते को पारित करने के बावजूद संविदाकार खंड के प्रावधानों के तहत उत्तरदायी रहेगा।

22. वास्तविक पूर्णता का प्रमाणपत्र और दोष दायित्व अवधि: जब तक बैंक के इंजीनियर लिखित रूप में यह प्रमाणित नहीं कर देते कि कार्य वास्तविक रूप से पूर्ण हो चुका है, तब तक कार्यों को पूर्ण नहीं माना जाएगा। दोष दायित्व अवधि वास्तविक पूर्णता की तिथि से शुरू होगी।

23. नामित उप-संविदाकार: सभी विशेषज्ञ, व्यापारी, कारीगर और अन्य लोग जो किसी भी माल की आपूर्ति और मरम्मत का कार्य करते हैं, जिसके लिए मूल लागत मूल्य या अनंतिम राशि मात्रा और/या विनिर्देशों की अनुसूची में शामिल है, जिन्हें नियोक्ता द्वारा नामित या चुना जा सकता है या इसके द्वारा संविदाकार द्वारा नियोजित उप-संविदाकार घोषित किया जा सकता है और उन्हें यहां नामित उप-संविदाकार के रूप में संदर्भित किया जाता है।

किसी भी नामित उप-संविदाकार को कार्य पर या उसके संबंध में नियोजित नहीं किया जाएगा, संविदाकार के विरुद्ध उचित आपत्ति नहीं की जाएगी (सिवाय इसके कि जहां वास्तुकार और संविदाकार अन्यथा सहमत हों) जो अनुबंध प्रदान करने में प्रवेश नहीं करेगा।

- a) नामित उप-संविदाकार उप-ठेके के संबंध में संविदाकार को उसी दायित्व के विरुद्ध क्षतिपूर्ति देगा, जो संविदाकार इस अनुबंध के संबंध में करता है।
- b) नामित उप-संविदाकार, उप-संविदाकार, उसके कर्मचारियों या एजेंटों द्वारा की गई किसी लापरवाही या उसके या उनके द्वारा किसी मचान या अन्य संयंत्र, संविदाकार की संपत्ति या लागू किसी भी कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत किसी भी दुरुपयोग के संबंध में दावों के खिलाफ संविदाकार को क्षतिपूर्ति करेगा।

- c) नामित उप-संविदाकार को नियोक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि कोई भी प्रमाणपत्र जारी होने से पहले, संविदाकार अनुरोध करने पर बैंक को यह प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि पिछले प्रमाणपत्रों में शामिल सभी नामित उप-ठेकेदारों के खातों का विधिवत भुगतान कर दिया गया है; ऐसा न करने पर, नियोक्ता बैंक के प्रमाणपत्र पर भुगतान कर सकता है और संविदाकार को देय किसी भी राशि से उस राशि की कटौती कर सकता है। इस शक्ति के प्रयोग से नियोक्ता और उप-संविदाकार के बीच निजी संविदा का निर्माण नहीं होगा।

24. नियोक्ता द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति : नियोक्ता इस अनुबंध में शामिल नहीं किए गए किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए परिसर और साइट के किसी भी भाग का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों द्वारा करवाना चाहता हो। संविदाकार ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए सभी उचित सुविधाएँ प्रदान करेगा, लेकिन नियोक्ता के साथ विशेष व्यवस्था के बिना ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए कोई संयंत्र या सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा कार्य इस प्रकार किया जाएगा कि संविदा में शामिल कार्यों की प्रगति में कोई बाधा न आए और संविदाकार ऐसे कार्य के कारण होने वाली किसी भी क्षति या देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

25. व्यक्ति और संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में बीमा : संविदाकार, व्यक्तियों, पशुओं या चीजों को होने वाली सभी चोटों या क्षति और संपत्ति को हुए सभी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा जो संविदाकार या किसी उप-संविदाकार या किसी नामित उप-संविदाकार या उनके किसी कर्मचारी की ओर से किसी भी कारक की चूक से उत्पन्न हो सकता है। इस खंड के तहत देयता में अन्य बातों के साथ-साथ संरचनाओं को हुए किसी भी नुकसान को भी कवर किया जाएगा, चाहे वे कार्यों के तुरंत निकट हों या अन्यथा; सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों के साथ-साथ इमारतों और अन्य संरचनाओं और इस अनुबंध के विषय-वस्तु बनाने वाले कार्यों को हुए नुकसान को भी कवर किया जाएगा। संविदाकार बारिश, हवा, पाले या मौसम की अन्य प्रतिकूलताओं के कारण इमारत और अन्य संरचनाओं और इस अनुबंध के विषय-वस्तु बनाने वाले कार्यों को हुए किसी भी नुकसान के लिए भी जिम्मेदार होगा। संविदाकार नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा तथा उसे उपरोक्त किसी भी चोट या व्यक्ति या संपत्ति को हुई क्षति से उत्पन्न होने वाली सभी हानि और व्यय के संबंध में तथा किसी भी कानून के तहत या अन्यथा चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के विरुद्ध तथा ऐसे दावों के परिणामस्वरूप किसी भी पुरस्कार या मुआवजे या क्षति के संबंध में भी उसे हानि रहित रखेगा।

संविदाकार, अपने स्वयं के व्यय पर, नियोक्ता द्वारा अनुमोदित एक बीमा कंपनी के साथ, इस संविदा के तहत आभासी पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने तक प्रभावी और बनाए रखेगा। ठेकेदारों के लिए सभी जोखिम पॉलिसी के विरुद्ध नियोक्ता और संविदाकार के संयुक्त नाम (पॉलिसी में पहले संविदाकार का नाम रखा जाएगा) में संविदा की पूरी राशि के लिए बीमा के लिए सभी जोखिम पॉलिसी और कार्य शुरू करने से पहले नियोक्ता के पास ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को जमा करना।

संविदाकार, कार्य के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी बात के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा नियोक्ता के विरुद्ध किए जा सकने वाले सभी दावों के विरुद्ध नियोक्ता को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा और क्षतिपूर्ति प्रदान करता रहेगा। वह स्वयं अपने व्यय पर, नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किसी बीमा कंपनी के साथ, ऐसे जोखिम के विरुद्ध नियोक्ता और संविदाकार (पॉलिसी में संविदाकार का नाम पहले रखा जाएगा) के संयुक्त नामों से एक बीमा पॉलिसी बनाएगा और संविदा के पूर्ण होने तक उसे बनाए रखेगा तथा कार्य प्रारंभ होने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को जमा कर देगा। पॉलिसी के अंतर्गत कवरेज की न्यूनतम सीमा किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये और किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में 5 लाख रुपये होगी, जिसकी कुल सीमा 10 लाख रुपये होगी। संविदाकार नियोक्ता को उन सभी दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति भी करेगा जो नियोक्ता पर

किए जा सकते हैं, चाहे वे कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत हों या किसी अन्य लागू कानून के तहत, इस संविदा की अवधि के दौरान या संविदाकार या उप-संविदाकार के किसी भी कर्मचारी के संबंध में सामान्य कानून के तहत और अपने स्वयं के खर्च पर अनुबंध के वास्तविक समापन तक या नियोक्ता द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ, ऐसे जोखिमों के खिलाफ बीमा पॉलिसी बनाए रखेगा और इस संविदा की अवधि के दौरान समय-समय पर नियोक्ता के पास ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को जमा करेगा।

यदि संविदाकार उपरोक्त प्रावधान के अनुसार बीमा नहीं करता है, तो नियोक्ता ऐसा बीमा कर सकता है और भुगतान किए गए प्रीमियम को संविदाकार को देय या देय होने वाली किसी भी धनराशि से काट सकता है।

संविदाकार किसी भी देयता के लिए जिम्मेदार होगा जो ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों द्वारा कवर नहीं की जा सकती है और साथ ही किसी भी व्यक्ति, पशु या इस अनुबंध के दोषपूर्ण निष्पादन के कारण होने वाली अन्य सभी क्षतियों के लिए भी जिम्मेदार होगा, चाहे वह क्षति किसी भी कारण से हुई हो।

संविदाकार, कार्य से संबंधित किसी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली सभी लागतों, प्रभारों या खर्चों तथा उससे उत्पन्न होने वाली किसी क्षति या मुआवजे के संबंध में भी नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा।

ऐसी चूक के संबंध में संविदाकार के विरुद्ध नियोक्ता के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियोक्ता, संविदाकार को देय किसी भी राशि से नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई किसी भी क्षति, क्षतिपूर्ति लागत, प्रभार और अन्य व्यय की राशि को काटने का हकदार होगा, जो इस खंड के तहत संविदाकार को देय हैं।

इस खंड के अंतर्गत ली गई पॉलिसी के अनुसार, बीमाकर्ता द्वारा निपटान किए जाने पर, संविदाकार, नष्ट या क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए उचित तत्परता से आगे बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में, बीमाकर्ता से ऐसी क्षति के संबंध में प्राप्त सभी धनराशि संविदाकार को चुकाई जाएगी और संविदाकार नष्ट या क्षतिग्रस्त सामग्री या सामान के पुनर्निर्माण या मरम्मत पर किए गए व्यय के संबंध में किसी भी अतिरिक्त भुगतान का हकदार नहीं होगा।

संविदाकार, क्षति के बाद पुनर्निर्माण या पुनर्स्थापना के मामले में, बैंक के इंजीनियर द्वारा उचित समझे जाने पर कार्य पूरा करने के लिए समय में ऐसे विस्तार का हकदार होगा, लेकिन फिर भी, नियोक्ता द्वारा यहां निर्धारित किसी भी दावे के निपटारे में बीमाकर्ता द्वारा अंतिम रूप से भुगतान की गई राशि में किसी भी कमी या कमी की प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। इस खंड के तहत अपने दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संविदाकार सभी नामित उप-ठेकेदारों से उनके संबंधित कार्यों के हिस्से के लिए इस खंड के प्रावधानों के अनुसार बीमा की समान पॉलिसियां भी प्राप्त कराएगा और नियोक्ता को ऐसी पॉलिसियां प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत कराएगा। संविदाकार किसी नामित उप-संविदाकार को साइट पर काम शुरू करने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि उक्त बीमा पॉलिसियां प्रस्तुत नहीं की जाती हैं। साइट पर काम शुरू करने से पहले उप-संविदाकार द्वारा बीमा की ऐसी पॉलिसी लेने में विफल रहने की स्थिति में, संविदाकार उक्त उप-संविदाकार के कारण होने वाले किसी भी दावे या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा।

संविदाकार अपने स्वयं के व्यय पर, एक अनुमोदित कार्यालय के साथ नियोक्ता और स्वयं के संयुक्त नाम से निम्नलिखित बीमा पॉलिसियों को प्रभावी करने और बनाए रखने की व्यवस्था करेगा (अनुबंध के वास्तविक समापन तक), जिसमें नियोक्ता प्रथम (प्रधान) होगा और इस अनुबंध की अवधि के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को नियोक्ता के पास जमा करेगा।

क) कामगार क्षतिपूर्ति पॉलिसी ख) कार पॉलिसी ग) तृतीय पक्ष देयता पॉलिसी

26. प्रारंभ और समापन की तिथि: संविदाकार को परिशिष्ट में उल्लिखित "प्रारंभ की तिथि" पर या नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक बाद की तिथि पर साइट पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और वह उसके

बाद तुरंत कार्य शुरू कर देगा और नियमित रूप से उसे पूरा करेगा (ऐसे रंग-रोगन या अन्य सजावटी कार्य को छोड़कर, जिसे बैंक विलंबित करना चाहे) या परिशिष्ट में उल्लिखित "समापन की तिथि" से पहले, फिर भी इसके बाद दिए गए समय के विस्तार के प्रावधानों के अधीन।

27. कार्य पूरा न होने पर निश्चित क्षतिपूर्ति: यदि संविदाकार परिशिष्ट में उल्लिखित तिथि तक या यहां खंड 28 के तहत किसी विस्तारित समय के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो संविदाकार नियोक्ता को परिशिष्ट में उल्लिखित राशि "निश्चित क्षतिपूर्ति" के रूप में उस अवधि के लिए भुगतान करेगा, जिसके दौरान उक्त कार्य अधूरा रहेगा और नियोक्ता संविदाकार को देय किसी भी धन से ऐसी क्षतिपूर्ति की कटौती कर सकता है।

28. देरी और समय का विस्तार: यदि नियोक्ता की राय में कार्य में देरी होती है (क) अप्रत्याशित घटना के कारण या (ख) किसी असाधारण खराब मौसम के कारण या ग) संविदाकार की अपनी चूक के अलावा आसपास के या पड़ोसी मालिकों या सार्वजनिक अधिकारियों के साथ कार्यवाही या धमकी या विवाद के कारण या (घ) नियोक्ता द्वारा नियोजित या नामित अन्य संविदाकार या ट्रेडमैन के कार्यों या देरी के कारण और मात्राओं और/या विनिर्देशों की अनुसूची में संदर्भित नहीं है या (ङ) खंड 2 के अनुसार बैंक के इंजीनियर निर्देश के कारण (च) नागरिक हंगामा, श्रमिकों के स्थानीय संयोजन या हड़ताल या तालाबंदी के कारण किसी भी बिलडिंग ट्रेड को प्रभावित करना या (छ) संविदाकार को बैंक से आवश्यक निर्देश समय पर प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप जिसके लिए उसने विशेष रूप से लिखित रूप में आवेदन किया होगा या (ज) अन्य कारणों से जिसे बैंक संविदाकार के नियंत्रण से बाहर प्रमाणित कर सकता है या (झ) घटना में, कार्य का मूल्य कार्य पूरा करने के लिए उचित समय विस्तार बैंक को लिखित सूचना दिए जाने पर यथाशीघ्र प्रदान किया जाएगा, लेकिन फिर भी संविदाकार विलंब को रोकने के लिए निरंतर प्रयास करेगा और कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बैंक की संतुष्टि हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएगा। बैंक का यह निर्णय कि विलंब अप्रत्याशित घटना के कारण हुआ है या नहीं, अंतिम होगा और संविदाकार पर बाध्यकारी होगा।

29. नियोक्ता के अनुदेश का अनुपालन करने में संविदाकार की विफलता : यदि संविदाकार नियोक्ता से लिखित नोटिस प्राप्त करने के बाद 10 दिनों के भीतर अनुपालन की आवश्यकता के अनुसार ऐसे आगे के आरेखों और/या बैंक के अनुदेशों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता ऐसे किसी भी कार्य को निष्पादित करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है और उन्हें भुगतान कर सकता है, जो भी उसके प्रभाव को देने के लिए आवश्यक हो सकता है, और इसके संबंध में किए गए सभी खर्च नियोक्ता द्वारा संविदाकार से ऋण के रूप में वसूल किए जा सकेंगे या संविदाकार को देय किसी भी धनराशि से उसके द्वारा काटे जा सकेंगे।

30. नियोक्ता द्वारा संविदा की समाप्ति : यदि संविदाकार, एक व्यक्ति या फर्म होते हुए, कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है या दिवालिया घोषित किया जाता है या एक निगमित कंपनी होने के नाते उसके विरुद्ध अनिवार्य समापन का आदेश दिया जाएगा या स्वेच्छिक रूप से या न्यायालय के पर्यवेक्षण के अधीन समापन के लिए एक प्रभावी प्रस्ताव पारित किया जाएगा और दिवालियापन या समापन के ऐसे कार्यों में, जैसा भी मामला हो, आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक, उसे ऐसा करने की आवश्यकता वाले नोटिस के बाद सात दिनों के भीतर ऐसा करने में असमर्थ होगा।

नियोक्ता की उचित संतुष्टि दर्शाने के लिए कि वह संविदा को पूरा करने में सक्षम है और यदि नियोक्ता द्वारा अपेक्षित हो तो इसके लिए सुरक्षा प्रदान करना।

या यदि ठेकेदार चाहे वह व्यक्ति, प्रथम या निगमित कंपनी हो, तो ठेकेदार के विरुद्ध जारी की जाने वाली संपत्ति को कुर्क करने के लिए न्यायालय की कार्यवाही या अन्य प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा।

या इस संविदा के तहत किसी भी भुगतान को ठेकेदारों के किसी भी लेनदार द्वारा या उसकी ओर से कुर्क किया जाएगा।

या नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना इस संविदा को उप-पट्टे पर सौंप देगा।

या इस संविदा या इसके अंतर्गत ठेकेदार को देय या देय होने वाले किसी भी भुगतान को प्रभारित या भारग्रस्त नहीं करेगा।

या यदि बैंक का इंजीनियर लिखित रूप से प्रमाणित कर दे कि संविदाकार, संविदा को त्याग दिया है, या

- i) कार्य प्रारंभ करने में विफल रहा है, या
- ii) इन शर्तों के तहत किसी भी वैध बहाने के बिना बैंक से आगे बढ़ने के लिए नोटिस प्राप्त करने के बाद चौदह दिनों के लिए कार्यों की प्रगति को निलंबित कर दिया है या
- iii) कार्य को उचित तत्परता के साथ आगे बढ़ाने में असफल रहा है तथा ऐसी उचित प्रगति करने में असफल रहा है जिससे कार्य को सहमत समय के भीतर पूरा किया जा सके, या
- iv) बैंक से लिखित नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों तक साइट से सामग्री हटाने या कार्य को हटाने और बदलने में विफल रहा है कि उक्त सामग्री या कार्य को इन शर्तों के तहत बैंक के इंजीनियर द्वारा निंदा और अस्वीकार कर दिया गया था या
- v) संविदाकार को लिखित नोटिस दिए जाने के बाद सात दिनों तक संविदाकार द्वारा पालन किए जाने वाले संविदा के किसी भी कार्य, मामले या चीजों का पालन करने या निष्पादित करने में लगातार उपेक्षा या असफलता की गई है, जिसमें संविदाकार को इसका पालन करने या निष्पादित करने की आवश्यकता बताई गई है।

तब और उक्त किसी भी मामले में, नियोजक, किसी पूर्व अधित्याग के होते हुए भी, संविदाकार को लिखित में सात दिन का नोटिस देने के पश्चात, अनुबंध का निर्धारण कर सकता है, जिसकी संपूर्णता उसी प्रकार लागू रहेगी मानो संविदा का निर्धारण न किया गया हो, और ऐसा तब भी होगा जब बाद में निष्पादित कार्य संविदाकार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किए गए हों। और इसके अतिरिक्त, नियोजक अपने अभिकर्ताओं या सेवकों द्वारा कार्य में प्रवेश कर सकता है और परिसर या आस-पास की भूमि या सड़कों पर पड़े सभी संयंत्र, औजार, मचान, शेड, मशीनरी, भाप और अन्य विद्युत उपकरणों और सामग्रियों को अपने कब्जे में ले सकता है, और उन्हें अपनी संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकता है या कार्य को पूरा करने और पूरा करने के लिए अपने सेवकों और कर्मचारों के माध्यम से या किसी अन्य संविदाकार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कार्य पूरा करने के लिए नियोजित कर सकता है, और संविदाकार किसी भी तरह से ऐसे अन्य संविदाकार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें कार्यों को पूरा करने और परिष्करण के लिए नियोजित किया गया है या सामग्री और संयंत्र का उपयोग करने से रोकने या बाधा डालने के लिए कोई कार्य, बात या बात नहीं करेगा। जब कार्य पूरा हो जाएगा या उसके तुरंत बाद सुविधानुसार बैंक संविदाकार को उसकी अतिरिक्त सामग्री और संयंत्र हटाने के लिए लिखित में एक नोटिस देगा, और यदि संविदाकार उसे प्राप्त होने के चौदह दिनों की अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता उसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच सकता है, और प्राप्त हुई शुद्ध राशि के लिए संविदाकार को क्रेडिट दे सकता है। नियोक्ता इसके बाद अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में यह पता लगाएगा और प्रमाणित करेगा कि उक्त संयंत्र और सामग्री में से कितनी सामग्री नियोक्ता के कब्जे में है और नियोक्ता को पूरा किए

जाने वाले कार्यों की खरीद में कितना खर्च या हानि हुई है और राशि कितनी है। यदि कोई हो, तो संविदाकार को देय और वह राशि जो इस प्रकार प्रमाणित की जाएगी, उसके बाद नियोक्ता द्वारा संविदाकार को या संविदाकार द्वारा नियोक्ता को, जैसा भी मामला हो, भुगतान किया जाएगा, और बैंक का प्रमाणपत्र पक्षों के बीच अंतिम और निर्णायक होगा।

31. संविदाकार द्वारा संविदा की समाप्ति : यदि बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र के तहत नियोक्ता द्वारा देय राशि का यह भुगतान बकाया है और उपरोक्त राशि के भुगतान की आवश्यकता वाले लिखित नोटिस के बाद तीस दिनों के लिए भुगतान नहीं किया गया है, जैसा कि संविदाकार द्वारा नियोक्ता को दिया गया है, या यदि नियोक्ता ऐसे किसी प्रमाण पत्र के जारी होने में हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है, या यदि नियोक्ता संविदा को अस्वीकार कर देता है, या यदि वास्तुकार या नियोक्ता के आदेश के तहत या किसी भी न्यायालय के किसी भी निषेधाज्ञा या अन्य आदेश के तहत तीन महीने के लिए काम रोक दिया जाता है, तो और उक्त मामलों में से किसी में भी संविदाकार नियोक्ता को लिखित में नोटिस देकर संविदा को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, और वह नियोक्ता से निष्पादित सभी कार्यों के लिए भुगतान और किसी भी संयंत्र या सामग्री या उद्देश्य या अनुबंध के लिए आपूर्ति या खरीद या तैयार किए गए किसी भी संयंत्र या सामग्री पर उसे होने वाली किसी भी हानि के लिए भुगतान वसूलने का हकदार होगा। ऐसे भुगतान की राशि निर्धारित करने में संविदाकार की मूल निविदा में निहित शुद्ध दरों का अनुसरण किया जाएगा अथवा जहां यह लागू न हो, वहां मूल्यांकन धारा 18 के अनुसार किया जाएगा।

32. प्रमाणपत्र और भुगतान:

- a. नियोक्ता द्वारा संविदाकार को समय-समय पर अंतरिम प्रमाणपत्रों के अंतर्गत किशतों में भुगतान किया जाएगा, जो बैंक के इंजीनियर द्वारा संविदाकार को निष्पादित कार्यों के लिए जारी किए जाएंगे, जब बैंक के इंजीनियर की राय में, इस अनुबंध के अनुसार परिशिष्ट में 'अंतरिम प्रमाणपत्रों के लिए कार्य का मूल्य' (या बैंक के उचित विवेक पर कम) के रूप में नामित अनुमानित मूल्य के बराबर कार्य निष्पादित किया गया हो, तथापि, परिशिष्ट में 'अंतरिम प्रमाणपत्रों के लिए प्रतिधारण प्रतिशत' के रूप में नामित ऐसे मूल्य के प्रतिशत को तब तक बनाए रखा जाएगा जब तक कि रखी गई कुल राशि परिशिष्ट में 'कुल "प्रतिधारण राशि" के रूप में नामित राशि तक नहीं पहुंच जाती, जिसके बाद किशतें बाद में निष्पादित और भवन में स्थापित कार्य के पूर्ण मूल्य तक होंगी। बैंक का इंजीनियर अपने विवेक से अंतरिम प्रमाणपत्र में वह राशि शामिल कर सकता है, जिसे वह कार्यों में उपयोग के लिए संविदाकार द्वारा साइट पर वितरित सामग्री के लिए उचित समझे। और जब कार्य लगभग पूरा हो गया हो और बैंक का इंजीनियर लिखित रूप में प्रमाणित कर दे कि कार्य पूरा होने पर, संविदाकार को नियोक्ता द्वारा बैंक के इंजीनियर द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र के अनुसार, परिशिष्ट में 'वास्तविक पूर्णता के पश्चात किस्त' के रूप में नामित धनराशि का भुगतान किया जाएगा, जो उक्त कुल प्रतिधारण राशि का एक भाग होगी। और संविदाकार, बैंक के इंजीनियर द्वारा लिखित रूप में जारी किए जाने वाले अंतिम प्रमाण पत्र के अनुसार, कार्य के वास्तविक पूर्णता की तिथि से परिशिष्ट में 'दोष दायित्व अवधि' के रूप में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर या कार्य के अंतिम रूप से पूरा होने पर ऐसी अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद अंतिम शेष राशि के भुगतान का हकदार होगा। और सभी दोषों को इसके वास्तविक आशय और अर्थ के अनुसार ठीक किया जाएगा, जो भी अंत में होगा, बशर्ते कि कार्यों की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद बैंक के इंजीनियर द्वारा किसी भी प्रमाणपत्र को जारी करना, कार्यों या सामग्री से संबंधित धोखाधड़ी, बेईमानी या धोखाधड़ी से छिपाने के मामलों में या प्रमाणपत्र में निपटाए गए किसी भी मामले में, और कार्यों या सामग्रियों में सभी दोषों और अपर्याप्तताओं के मामले में संविदाकार को खंड 2 और 21 के तहत अपनी देयता से मुक्त नहीं करेगा, जो एक उचित परीक्षा में प्रकट नहीं होता। बैंक के इंजीनियर का कोई भी प्रमाणपत्र अपने आप में निर्णायक सबूत नहीं होगा कि कोई भी कार्य या सामग्री जिससे यह संबंधित है, अनुबंध के अनुसार है और न ही

संविदाकार के पास किसी भी राशि के लिए दावा होगा जो बैंक के इंजीनियर ने किसी भी अंतरिम बिल में प्रमाणित किया हो और नियोक्ता द्वारा भुगतान किया हो, और जो बाद में देय नहीं पाया जा सकता है और इस संबंध में नियोक्ता का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

- b. यदि कार्य या उसका कोई भाग उसके संतोषप्रद रूप से नहीं किया जा रहा है तो बैंक के इंजीनियर को किसी भी प्रमाणपत्र को रोकने का अधिकार होगा।
- c. बैंक का इंजीनियर उसके द्वारा जारी किए गए किसी भी पूर्व प्रमाण-पत्र में कोई सुधार कर सकता है।
- d. यदि संविदाकार कार्य का बीमा कराने में विफल रहता है तथा वर्चुअल पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने तक उसे बीमाकृत नहीं रखता है तो बैंक के इंजीनियर द्वारा भुगतान का कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
- e. बैंक के इंजीनियर प्रमाणपत्र पर भुगतान, परिशिष्ट में 'प्रमाणपत्रों के सम्मान की अवधि' के रूप में नामित अवधि के भीतर किया जाएगा, जब ऐसे प्रमाणपत्र नियोक्ता को सौंप दिए गए हों।

कार्य के लिए केवल निम्नलिखित भुगतान शर्तें ही लागू होंगी-

संविदाकार द्वारा किए गए कार्य के मूल्य का भुगतान बैंक द्वारा कार्य के सफल समापन के बाद बैंक के इंजीनियर द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। संविदाकार को देय कुल राशि, वैधानिक कटौतियों के बाद, संपूर्ण कार्य पूरा होने पर 'प्रथम एवं अंतिम बिल' के रूप में भुगतान की जाएगी। सभी भुगतानों पर, वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार, 5% रिटेंशन मनी और टीडीएस की वसूली की जाएगी। ठेकेदार को यह ध्यान रखना होगा कि चालू बिल के भुगतान के लिए किए गए कार्य का न्यूनतम अस्थायी मूल्य **₹5 लाख** है।

33. विलंबित भुगतान: यदि नियोक्ता द्वारा संविदाकार को देय कोई राशि परिशिष्ट में उल्लिखित 'प्रमाणपत्रों के सम्मान की अवधि' के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो उस पर नियोक्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली तिथि से भुगतान होने तक परिशिष्ट में उल्लिखित "विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर" के अनुसार ब्याज लगेगा, बशर्ते कि संविदाकार द्वारा सभी आवश्यक जानकारी/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाएं।

34. बैंक द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित किए जाने वाले मामले: इसके खंड 2, 4, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28 (क, ख, ग, घ, ङ, च) के अंतर्गत सभी या किसी भी मामले (जिन मामलों को इसमें अपेक्षित मामले कहा गया है) के संबंध में निर्णय, राय, निर्देश प्रमाणपत्र (भुगतान को छोड़कर) अंतिम और निर्णायक होगा तथा इसके पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा और अपील रहित होगा। कोई भी अन्य निर्णय, राय, निर्देश, इसके खंड 35 के अंतर्गत मध्यस्थता और समीक्षा के अधिकार के अधीन होगा, सभी मामलों में उसी तरह (संदर्भ खोलने के प्रावधानों सहित), जैसे कि वह बैंक के इंजीनियर का निर्णय हो।

35. मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटारा : संविदा या कार्यों के कार्यान्वयन से संबंधित या उससे संबंधित किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद और अनुबंध के परित्याग या उल्लंघन के निर्धारण से पहले या बाद में) को बैंक को भेजा जाएगा और उसके द्वारा निपटाया जाएगा, जो लिखित रूप में अपना निर्णय बताएगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता है। किसी भी अपवादित मामले के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और पूर्ववर्ती खंडों के अनुसार अपील रहित होगा। लेकिन यदि कोई भी, संविदाकार किसी मामले पर असंतुष्ट है तो संविदाकार ऐसे निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को लिखित नोटिस दे सकता है जिसमें यह आवश्यक हो कि विवादित मामलों पर मध्यस्थता की जाए। ऐसी लिखित सूचना में उन मामलों को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो विवाद या मतभेद में हैं और जिनके बारे में ऐसी लिखित

सूचना दी गई है। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमति नहीं बन पाती है, तो दोनों पक्ष अपनी ओर से एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करेंगे। दोनों पक्षों द्वारा नामित मध्यस्थ, तीसरे मध्यस्थ या निर्णायक के रूप में कार्य करने के लिए एक और व्यक्ति को नामित करेंगे।

मध्यस्थ या मध्यस्थों को, जैसा भी मामला हो, पूर्ववर्ती खंड में निर्दिष्ट अपवादित मामलों के संबंध में किसी भी प्रमाण पत्र, राय, निर्णय, मांग या नोटिस को खोलने, समीक्षा करने और संशोधित करने की शक्ति होगी, और विवादित सभी मामलों को निर्धारित करने की शक्ति होगी, जिन्हें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और जिनके बारे में पूर्वोक्त रूप से नोटिस दिया गया है।

मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, संदर्भ दर्ज करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर (या पक्षकारों की सहमति से उनके द्वारा निर्धारित अतिरिक्त समय के भीतर) अपना निर्णय सुनाएगा। यदि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवाद या मतभेद का निपटारा या समझौता कर लेते हैं, तो पक्षकारों द्वारा समझौते या समझौते का संयुक्त ज्ञापन दाखिल करने पर, मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, ऐसे समझौते या समझौते के अनुसार निर्णय सुनाएगा।

ऐसे किसी संदर्भ पर, संदर्भ और पंचाट से संबंधित लागत पर निर्णय क्रमशः मध्यस्थ या मध्यस्थों के विवेक पर होगा, जैसा भी मामला हो, जो उसकी राशि निर्धारित कर सकते हैं या उस पर पक्षकार और पक्षकार के बीच कर लगाने का निर्देश दे सकते हैं, और निर्देश देंगे कि उसे किसके द्वारा, किसको और किस तरीके से वहन किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा।

यह प्रस्तुति भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी वैधानिक संशोधन के अर्थ में मध्यस्थता के लिए प्रस्तुति मानी जाएगी। मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय, जैसा भी मामला हो, अंतिम होगा और पक्षों पर बाध्यकारी होगा। यह सहमति हुई है कि संविदाकार मध्यस्थता के लिए भेजे गए किसी भी मामले, प्रश्न या विवाद के कारण कार्यों को पूरा करने में देरी नहीं करेगा, बल्कि सभी उचित परिश्रम के साथ कार्यों को आगे बढ़ाएगा और मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय दिए जाने तक बैंक के निर्णय का पालन करेगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी निर्णय, जैसा भी मामला हो, संविदाकार को कार्यों के वास्तविक कार्यान्वयन के संबंध में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के अपने दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा।

36. अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार: नियोक्ता को यह अधिकार होगा कि वह नियोक्ता द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा कार्यों की तकनीकी जांच कराए तथा संविदाकार के अंतिम बिल की जांच कराए, जिसमें सभी सहायक वाउचर, सारांश आदि शामिल हैं। यदि इस जांच के परिणामस्वरूप या अन्यथा कोई राशि अधिक भुगतान की गई या अधिक प्रमाणित पाई जाती है, तो नियोक्ता के लिए यह वैध होगा कि वह इस कार्य के लिए या भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन ठेकेदारों द्वारा अन्यत्र किए जा रहे किसी अन्य कार्य के लिए संविदाकार को देय किसी भी भुगतान से राशि वसूल करे।

37. नियोक्ता को कामगारों को भुगतान किए गए मुआवजे को कवर करने का अधिकार है: यदि किसी भी कारण से नियोक्ता, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के प्रावधानों या उसके किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के आधार पर कार्यों के निष्पादन में संविदाकार द्वारा नियोजित किसी कामगार को प्रतिकर देने के लिए बाध्य है, तो नियोक्ता संविदाकार से इस प्रकार भुगतान की गई प्रतिकर की राशि वसूल करने का हकदार होगा और उक्त अधिनियम के तहत नियोक्ता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। नियोक्ता ऐसी राशि या उसके किसी भाग को सुरक्षा जमा से या उसके द्वारा देय किसी राशि से कटौती करके वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा। नियोक्ता उक्त अधिनियम के तहत उसके विरुद्ध किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय संविदाकार के लिखित अनुरोध के

और उसके द्वारा नियोक्ता को उन सभी लागतों के लिए नियोक्ता की संतुष्टि हेतु पूर्ण सुरक्षा देने के, जिनके लिए नियोक्ता ऐसे दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप उत्तरदायी हो सकता है।

38. कार्यों का परित्याग: यदि निविदा की स्वीकृति के बाद किसी भी समय नियोक्ता किसी भी कारण से पूरे कार्यों या उसके किसी भी हिस्से को पूरा करने की आवश्यकता नहीं रखता है, तो बैंक संविदाकार को लिखित रूप में नोटिस देगा, जिसका किसी भी लाभ या फायदे के कारण मुआवजे के भुगतान या अन्यथा किसी भी तरह का कोई दावा नहीं होगा, जो उसे पूरे कार्यों के निष्पादन से प्राप्त हो सकता था।

39. अधिशेष सामग्री की वापसी: इस अनुबंध के किसी या सभी खंडों में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, जहां अनुबंध के निष्पादन के लिए कोई सामग्री सरकार द्वारा जारी आदेशों या परमिट या लाइसेंस के तहत नियोक्ता की सहायता से खरीदी जाती है, संविदाकार उक्त सामग्रियों को आर्थिक रूप से और केवल अनुबंध के प्रयोजन के लिए रखेगा और नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उनका निपटान नहीं करेगा और नियोक्ता द्वारा मांगे जाने पर, सामग्री की शर्तों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित की जाने वाली कीमत पर नियोक्ता को वापस कर देगा, निर्धारित की जाने वाली कीमत उसके संबंध में संविदाकार द्वारा भुगतान की गई जीएसटी और अन्य ऐसे शुल्कों सहित खरीद मूल्य से अधिक नहीं होगी, पूर्वोक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संविदाकार लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या आपराधिक विश्वासघात के लिए कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होने के अलावा, सभी धनराशि, लाभ या मुनाफे के लिए नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी होगा जो ऐसे उल्लंघन के कारण उसके परिणामस्वरूप हुए या सामान्य क्रम में हुए होते।

40. गैर-प्रकटीकरण खंड: संविदाकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे / प्रणालियों / उपकरणों आदि की कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान संविदाकार के कब्जे या ज्ञान में आ सकते हैं, किसी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त गोपनीयता में रखेंगे। संविदाकार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय रखेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। संविदाकार नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या अन्यत्र कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगा या प्रकट नहीं करेगा। संविदाकार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा।

संविदाकार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने का दायित्व पूरी तरह से पूरा हो।

गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में संविदाकार के दायित्व, किसी भी कारण से इस संविदा की समाप्ति या समाप्ति के बाद भी बने रहेंगे।

41. यदि व्यक्ति संविदाकार है तो की मृत्यु की स्थिति में नियोक्ता का संविदा समाप्त करने का अधिकार:

इस अनुबंध के तहत किसी भी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि संविदाकार, एक व्यक्ति होने के नाते, की मृत्यु हो जाता है, तो नियोक्ता के पास ऐसी समाप्ति के लिए कोई देयता उठाए बिना अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प होगा।

(i) संविदाकार को ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित सभी अपेक्षाओं का पालन करना होगा।

(ii) संविदाकार को अपने द्वारा नियोजित सभी मजदूरों/कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। संविदाकार को इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने अपने द्वारा नियुक्त किए गए सभी प्रकार के मजदूरों को, उन्हें दिए गए कार्य/कार्य/परियोजना को पूरा करने के लिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत निर्धारित दर से कम नहीं, सभी देय राशि का भुगतान कर दिया है और उसने ठेका मजदूरों को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने के संबंध में सीएलआरए अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया है। इसके अलावा, वह बैंक के प्रतिनिधि को सत्यापन और ऐसे प्रमाणपत्र की सत्यता प्रमाणित करें।

42. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

1. क) संविदाकार/एजेंसी “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013” के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगी। बैंक परिसर में अपने कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, संविदाकार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी और संविदाकार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

b) संविदाकार के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

c) यदि घटना में संविदाकार के कर्मचारी शामिल हों तो संविदाकार को किसी भी प्रकार की आर्थिक राहत देने की जिम्मेदारी होगी, उदाहरण के लिए, यदि संविदाकार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा सिद्ध हो जाए तो बैंक के कर्मचारी को दी जाने वाली आर्थिक राहत।

d) संविदाकार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

e) संविदाकार को बैंक परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों की पूर्ण एवं अद्यतन सूची उपलब्ध करानी होगी।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए उपरोक्त अनुदेशों को पढ़ और समझ लिया है तथा उन्हें स्वीकार करता/करते हूँ।

दिनांक:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर मुहर सहित

स्थान:

नाम और पता:

संविदा की विशेष शर्तें

1. निविदाकर्ता कृपया ध्यान दें कि विचाराधीन कार्य **सुरक्षा क्षेत्र के भीतर बैंक के कार्यालय परिसर के अंदर** सामान्य कार्य घंटों में किया जाएगा, जिसमें बैंक के इंजीनियरों के परामर्श से अग्रिम योजना, कार्य के उचित क्रम से बैंक के नियमित कामकाज में कम से कम व्यवधान उत्पन्न होगा। काम को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना होगा और देर से काम करने के घंटों के लिए किसी भी परिस्थिति में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा।
2. कार्य के लिए संपूर्ण सामग्री केवल सीढ़ियों के माध्यम से कार्य क्षेत्र में लाई जाएगी।
3. सभी सामग्रियां आईएस मानकों की पुष्टि करने वाली पहली/ उच्च गुणवत्ता की होंगी।
4. निविदाकर्ता केवल अनुमोदित सामग्रियों का ही उपयोग करेगा जैसा कि मात्रा की अनुसूची/अनुमोदित सामग्रियों की सूची में विशेष रूप से बताया गया है। बैंक को सूची में अनुमोदित ब्रांड नामों में से किसी भी ब्रांड की सामग्री चुनने की स्वतंत्रता होगी। किसी भी कार्य में प्रयुक्त किसी भी सामग्री के नमूनों को थोक खरीद के साथ आगे बढ़ने से पहले बैंक के इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा अनुमोदित कराया जाना चाहिए।
5. जहां भी ठेकेदार समतुल्य मेक (अर्थात निर्दिष्ट के अलावा अन्य) का उपयोग करने का प्रस्ताव करता है, वही बैंक के इंजीनियर की पूर्व मंजूरी के बाद किया जाएगा, इसके कारण होने वाला कोई भी अतिरिक्त व्यय और समय पूरी तरह से ठेकेदार के खाते में होगा और इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. साइट पर लाई गई सामग्री की गुणवत्ता और मात्रा के माप के निरीक्षण के लिए तुरंत बैंक के इंजीनियर को सूचित किया जाएगा।
7. ठेकेदार को काम शुरू होने से पहले बैंक को एक उचित योजनाबद्ध और तैयार कार्य कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा ताकि बैंक सुचारू रूप से काम करने, प्रगति और समन्वय के लिए अन्य एजेंसियों को पहले से सूचित कर सके और कार्य कार्यक्रम में समय सारिणी का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
8. बोली में उल्लिखित पूर्णता की **नौ सप्ताह** की अवधि में अनुबंध अवधि के अंतर्गत आने वाली मानसून अवधि और रविवार/शनिवार सहित छुट्टियाँ शामिल हैं। ठेकेदार छुट्टियों पर अपने जोखिम और लागत पर काम करने के लिए कानूनी आवश्यकताओं का पालन करेंगे और बैंकों को इससे जुड़े किसी भी जोखिम के लिए मुआवजा देंगे।
9. उपरोक्त कार्य से उत्पन्न मलबे/धूल या किसी भी अपव्यय को जितनी बार आवश्यक हो और बैंक के इंजीनियर के निर्देश के अनुसार साफ किया जाएगा और उपरोक्त नवीनीकरण में श्रमिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सीढ़ियों, मार्गों सहित पूरे परिसर को दिन-प्रतिदिन के आधार पर साफ/साफ किया जाएगा ताकि बैंक के इंजीनियरों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के संतुष्टि मिल सके। पूरा कचरा/अपशिष्ट पदार्थ बैंक के परिसर से बाहर निकाला जाना चाहिए और बैंक के परिसर में और उसके आसपास कहीं भी नहीं डाला जाना चाहिए। यदि स्थानीय निगम को कोई कचरा दिखाई देता है तो उसके लिए केवल ठेकेदार ही जिम्मेदार होते हैं और जुर्माना लगाया जाता है।
10. किसी भी मजदूर को कार्य घंटों के बाद परिसर के अंदर रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
11. जहां भी लगे हुए श्रमिकों की संख्या 20 या उससे अधिक है, वहां ठेकेदार के पास श्रमायुक्त का वैध श्रम लाइसेंस होना चाहिए।
12. जी एस टी को ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों में शामिल किया जाएगा। उद्धृत दर में ऐसे सभी कर और शुल्क शामिल होंगे। हालाँकि, कार्य के लिए बिल/चालान जमा करते समय ठेकेदार को कार्य मूल्य में शामिल जीएसटी के विभिन्न घटकों को स्पष्ट रूप से इंगित करना होगा।
13. ठेकेदार के पास उनके द्वारा उक्त कार्य में लगाए गए कर्मचारियों के पते और तस्वीरें होंगी। बैंक द्वारा जारी फोटो पास दिखाने पर ही श्रमिकों को भवन के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और उन्हें बैंक द्वारा लगाए गए सुरक्षा प्रतिबंधों के अधीन भी रहना होगा।
14. दरों का उल्लेख करने से पहले, ठेकेदार को साइट का निरीक्षण करना चाहिए और काम की प्रकृति और दायरे के बारे में खुद को समझना चाहिए।

15. बैंक की किसी भी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर की जाएगी।
16. ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के विनिर्देश विवरण और निर्देशों के अनुसार सख्ती से काम करेगा।
17. ठेकेदार को साइट पर अपनी सामग्री के भंडारण की स्वयं व्यवस्था करनी होगी।
18. उद्धृत दर में बैंकों के इंजीनियरों द्वारा आवश्यक और निर्देशित सामग्रियों के सभी आवश्यक परीक्षण शामिल होने चाहिए।
19. ठेकेदार को काम के दिन-प्रतिदिन के पर्यवेक्षण के लिए एक योग्य साइट इंजीनियर को नियुक्त करना चाहिए।
20. सफल बोलीदाता अपनी सामग्री की सुरक्षा और संरक्षा के लिए भी जिम्मेदार होगा और अपने कार्य के हिस्से सहित कार्यस्थल में हर समय आग की रोकथाम के कदम सुनिश्चित करेगा।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/हमने मार्गदर्शन के लिए उपरोक्त अनुदेशों को पढ़ और समझ लिया है।

दिनांक:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर मुहर सहित।

स्थान:

नाम और पता:

सुरक्षा कोड

1. प्राथमिक उपचार के सामान, जिसमें स्टेरिलाइज्ड ड्रेसिंग और रूई की सही सप्लाई शामिल है, आसानी से मिलने वाली जगह पर रखे जाएंगे।
2. अगर चोट की वजह से अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत हो, तो घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए सार्वजनिक अस्पताल ले जाना चाहिए।
3. उन सभी कामों के लिए जो ज़मीन/फर्श से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते, काम करने वालों के लिए सही और मजबूत मचान उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
4. किसी भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी 8 मीटर से ज़्यादा लंबी नहीं होगी। साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 सेमि.(साफ़) से कम नहीं होगी और दो आस-पास के डंडों के बीच की दूरी 30 सेमि. से ज़्यादा नहीं होगी। जब सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो सीढ़ी पकड़ने के लिए एक एक्स्ट्रा मज़दूर लगाया जाएगा।
5. किसी बिल्डिंग के फ़र्श या काम करने वाले प्लेटफ़ॉर्म में हर खुली जगह पर लोगों या सामान को गिरने से बचाने के लिए सही तरीके से फ़ेंसिंग या रेलिंग लगाई जाएगी, जिसकी कम से कम ऊंचाई एक मीटर होगी।
6. किसी भी फर्श, छत या संरचना के अन्य हिस्से पर मलबा या सामग्री इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि वह असुरक्षित हो जाए।
7. सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट और चूने के मोर्टार जैसे मटीरियल को मिलाने और संभालने वाले वर्कर्स को प्रोटेक्टिव फुटवियर और रबर हैंड-ग्लव्स दिए जाएंगे।
8. (i) सीसा या सीसा उत्पादों से युक्त किसी भी पेंट का उपयोग पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप में ही किया जाएगा।
(ii) श्रमिकों द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त फेसमास्क की आपूर्ति की जानी चाहिए, जब पेंट को स्प्रे के रूप में लगाया जाता है या सीसा पेंट वाली सतह को सूखा रगड़ा और खुरच दिया जाता है।
9. पेंटर्स को ओवरऑल्स कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दिए जाएंगे और काम बंद होने के दौरान काम करने वाले पेंटर्स को धोने के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी जाएंगी।
10. काम में इस्तेमाल होने वाली होइस्टिंग मशीनें और सामान, उनके अटैचमेंट, एंकरेज और सपोर्ट सहित, एकदम सही हालत में होंगे।
11. सामान को ऊपर उठाने या नीचे करने या लटकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सियाँ टिकाऊ क्वालिटी की, काफ़ी मज़बूत और बिना किसी खराबी वाली होनी चाहिए।

अग्नि सुरक्षा कोड

1. साइट पर उपयोग की जाने वाली कटाई /ड्रिलिंग मशीन और अन्य विद्युत संचालित उपकरणों को सही रेटेड विद्युत आउटलेट में प्लग किया जाना चाहिए।
2. केवल आईएसआई चिह्नित 3-पिन प्लग और अन्य उपकरणों और उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
3. प्रयुक्त विद्युत केबलों/तारों में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए तथा उनका उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
4. सभी विद्युत उपकरण अर्थात ड्रिलिंग, कटिंग मशीन आदि को सुरक्षित रूप से मिट्टी में रखा जाना चाहिए ताकि संचालन के दौरान रिसाव धारा को रोका जा सके।
5. साइट पर आसानी से सुलभ क्षेत्र में पानी और रेत की दो बाल्टियां रखी जाएंगी।
6. अनुशंसित अग्नि शमन उपकरण साइट पर रखे जाएंगे।
7. प्रयुक्त पेंट ड्रमों को ठीक से बंद करने के बाद ही उन्हें निर्दिष्ट स्टोर में संग्रहीत किया जाएगा।
8. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा जूते, हाथ के दस्ताने, वेल्डर का मास्क, कान का प्लग आदि काम की आवश्यकता के आधार पर ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को रोकने के लिए प्रदान किए जाएंगे।
9. सुरक्षा बेल्ट ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाएगी और इसका उपयोग श्रमिक द्वारा जमीनी स्तर से 10 फीट से अधिक ऊंचाई तक काम करते समय किया जाएगा।
10. लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों के पास किसी भी मार्ग का उपयोग किसी भी प्रकार की सामग्री/अपशिष्ट को रखने/डालने के लिए नहीं किया जाएगा।
11. किसी भी अग्निसुरक्षक को उसके निर्दिष्ट स्थान से हटाया/स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
12. जब उपकरण उपयोग में न हो तो मुख्य से बिजली आपूर्ति बंद कर दी जानी चाहिए।
13. कार्य से उत्पन्न लकड़ी और चूरा को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा।
14. कार्य से उत्पन्न किसी भी मलबे को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा।
15. कार्यालय समय से आगे काम करते समय ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को बैटरी चालित आपातकालीन लाइट/टॉर्च उपलब्ध कराए जाएंगे।

स्थान:

दिनांक:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर:

नाम और पता:

इसमें पूर्व उल्लिखित परिशिष्ट

1	दोष देयता अवधि (डीएलपी)	वास्तविक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से 12 महीने।
2	अंतिम माप की अवधि	वास्तविक पूर्णता की तारीख से 1 महीना।
3	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	शून्य
4	कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी (PBG)	संविदा मूल्य का 5%
5.	बैंक गारंटी की निर्मुक्ति	कार्य समाप्ति के पश्चात
6	प्रारंभ होने की तिथि	कार्य आदेश जारी होने के 10वें दिन।
7	पूरा होने की तारीख	कार्य आदेश जारी होने के दसवें दिन से नौ हफ्ते के भीतर
8	समाप्त नुकसान की दर (LD)	प्रति सप्ताह देरी के लिए संविदा मूल्य का 0.25% कुल स्वीकृत संविदा मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन है।
9	अंतरिम प्रमाण पत्र के लिए न्यूनतम मूल्य	5 लाख
10	अवधारण प्रतिशत (आरएमडी)	5%
11	एसडी का विमोचन	दोष देयता अवधि पूरी होने पर।
12	अंतरिम प्रमाणपत्र जारी करने की अवधि	15 दिन (सभी पहलुओं में सही बिल के उत्पादन के अधीन)
13	अन्तिम प्रमाण पत्र का अनुमोदित करने की अवधि	30 दिन (सभी पहलुओं में सही बिल के उत्पादन के अधीन)
14	विलंबित भुगतान के लिए ब्याज	तीन प्रतिशत प्रति वर्ष।

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने निविदा देने वालों की मार्गदर्शिन के लिए ऊपर दिए गए अनुदेशों को पढ़ है और समझ लिए हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं।

तारीख:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर मुहर सहित।

स्थान:

नाम और पता:

सामग्री के अनुमोदित निर्माण/निर्माताओं की सूची

1.	सीमेंट	ए.सी.सी, मालाबार, कोरमंडल, रामको, शंकर, अंबुजा या इनके समकक्ष अनुमोदित सीमेंट।
2.	व्हाइट सीमेंट	बिड़ला व्हाइट, जे.के. व्हाइट या इनके समकक्ष अनुमोदित सीमेंट।
3.	स्टील रीइन्फोर्समेंट	विशाख, जे.एस.डब्ल्यू, या इनके समकक्ष
4.	विट्रिफाइड टाइलें	जॉनसन, कजारिया, आरएके, सोमानी, निटको, बेल, सिम्पोलो या स्वीकृत समकक्ष
5.	टाइल ग्राउट्स / जॉइंटिंग कंपाउंड्स	बाल एंडुरा सिल्वर स्टार प्लस, एम.वाई.के. लेटक्रिट 315 या इनके समकक्ष अनुमोदित
6.	यू.पी.वी.सी. सेक्शन	प्रोमिनेंस या इनके समकक्ष अनुमोदित
7.	पी.यू. फ्लोरिंग	टोप्लोर एस.एल. 3000 यू.टी. मेसर्स फोस्रोक से या यूक्रिट एम.एफ. मेसर्स मास्टर बिल्डर्स से
8.	पेंट्स	एशियन, आई.सी.आई. डुलक्स, एम.आर.एफ., बर्जर, शालीमार, नेरोलैक
9.	पुट्टी	बिड़ला व्हाइट, जे.के., गोल्डसाइज़ पुट्टी शालीमार पेंट्स लिमिटेड द्वारा या इनके समकक्ष अनुमोदित

- a) ठेकेदार को काम में इस्तेमाल करने से पहले, बैंक की मंजूरी के लिए, जैसा भी मामला हो, 2-3 तरह के सैंपल उपलब्ध कराने होंगे।
- b) बैंक से मंजूर सामान का इस्तेमाल सिर्फ़ मूलभूत दर मदों के लिए पीसी दरों की मंजूरी सहित काम में किया जाएगा।

दिनांक:

निविदाकर्ता के मुहर सहित हस्ताक्षर:

स्थान:

मात्राओं की बिना मूल्य वाली अनुसूची

मद संख्या।	आइटम का विवरण.	मात्रा	इकाई।
1	विखंडन कार्य ईंट की दीवार/पार्टीशन की दीवारें/दरवाज़े/टाइल डेडो/अकूस्टिक पैनलिंग/विनाइल फ्लोरिंग वगैरह को हटाना: कार्यालय भवन के बेसमेंट फ्लोर में मौजूद मौजूदा एसबीएस रूम के अंदर के एरिया से नीचे दी गई चीज़ों को ध्यान से हटाएं/अलग करें और बैंक के इंजीनियर के बताए गए तरीकों से हटा दें। बताई गई चीज़ों को लगभग डाइमेंशन/मात्रा के साथ इस तरह से हटाया जाना है: a) M.S शीट दरवाज़ा, जिसका कुल साइज़ लगभग 1800mm x 2100mm हो - 1 नंबर (दोबारा इस्तेमाल के लिए एक के ऊपर एक रखना है), एल्युमीनियम दरवाज़ा, जिसका कुल साइज़ 1800mm x 2100mm हो - 1 नंबर और 800mm x 2100mm हो - 1 नंबर, लकड़ी का दरवाज़ा, जिसका साइज़ 900mm x 2100mm हो - 1 नंबर, MS कोलैप्सिबल गेट, जिसका साइज़ 2200mm x 2100mm हो - 1 नंबर (दोबारा इस्तेमाल के लिए एक के ऊपर एक रखना है)। b) 115mm/ 230mm मोटी ईंट की दीवार, दोनों तरफ प्लास्टर, RCC लिंटेल् वगैरह, लगभग नाप, 5500mm x 2600mm x 180mm - 1 नंबर, 3000mm x 3050mm x 140mm - 1 नंबर, 1900mm x 2100mm x 300mm - 1 नंबर और 1900mm x 2100mm x 140mm - 1 नंबर।		
	c) मेसनरी दीवार के ऊपर एल्युमिनियम ग्लेज्ड फिक्स्ड पार्टीशन, जिसका कुल साइज़ लगभग 5500mm x 450mm- 1 और 3200mm x 900mm- 1 है। d) कंट्रोल रूम में दरवाज़े के साथ एल्युमिनियम पार्टीशन, जिसका साइज़ 3970mm x 3020mm और 2200mm x 3020mm है।		
	e) टाइल डेडो जिसमें बैक मोर्टार शामिल है और नई फिनिश के लिए सतहों को अच्छी तरह से साफ करना - लगभग 100 Sqm का एरिया अलग करना। f) जिप्सम बोर्ड अकूस्टिक वॉल पैनलिंग जिसमें फ्रेमवर्क, इंसुलेशन मटीरियल वगैरह शामिल हैं, लगभग 48 sqm का एरिया। g) एरिया के कुछ हिस्से में मौजूदा दीवार का प्लास्टर, लगभग 22 sqm का एरिया। h) लगभग 70 Sqm का विनाइल फ्लोरिंग। दर में उपयोग करने योग्य वस्तुओं को जमा करना, क्षेत्र की अच्छी तरह से सफाई करना और बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार सभी को पूरा करते हुए बैंक के परिसर से मलबे का निपटान और उसे बाहर ले जाना शामिल होगा।	1.00	काम।
2	दीवारों के लिए 230mm मोटी ईंट की चिनाई करना, जहाँ भी ज़रूरत हो, वहाँ छेद बंद करना वगैरह, CM 1:6 में सबसे अच्छी क्वालिटी की लोकल ईंटों का इस्तेमाल करना, सही प्लंब, लाइन और लेवल में, पास की दीवार/कॉलम/फ्लोरिंग वगैरह के लिए सही की लगाना, जोड़ों को रेक करना, ज़रूरी मचान बनाना, क्योरिंग, सफाई, अगर बैंक की जगह के बाहर कोई मलबा हो तो उसे हटाना वगैरह, ये सब बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार पूरा करना।	1.50	घन मापी

3	दीवारों के लिए 115 mm मोटी ईंट की चिनाई करना, जहाँ भी ज़रूरत हो, ओपनिंग वगैरह बंद करना, CM 1:4 में सबसे अच्छी क्वालिटी की लोकल ईंटों का इस्तेमाल करना, सही प्लंब, लाइन और लेवल में, पास की दीवार/कॉलम/फ्लोरिंग वगैरह के लिए सही की देना, हर 6th कोर्स पर कंक्रीट के कवर में 8mm डायमीटर की 2 रे बार लगाना, जॉइंट्स को रेक करना, ज़रूरी स्कैफोल्डिंग, क्योरिंग, क्लीनिंग, बैंक की जगह के बाहर अगर कोई मलबा हो तो उसे हटाना वगैरह, ये सब बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार पूरा करना।	22.00	वर्ग मीटर
4	ईंट की दीवारों में खुलने वाली जगहों पर/ ईंट के काम के अलग-अलग लेवल पर C.C. 1:1.5:3 के साथ R.C.C. लिंटेल/बीम लगाना और डालना, जो अप्रूव्ड क्वालिटी 20 mm और डाउनसाइज़ ग्रेडेड ग्रेनाइट मेटल, M-सैंड और अप्रूव्ड पोर्टलैंड सीमेंट से बने हों, जिसमें शटरिंग, क्योरिंग, मलबा हटाना और हटाना वगैरह शामिल है। सब कुछ बताए गए तरीके से पूरा हुआ। काम के दायरे में थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार देना, सीधा करना, काटना, मोड़ना और सही जगह पर रखना भी शामिल है - R.C.C. लिंटेल के काम के लिए 150mm c/c स्पेसिंग पर मेन बार के तौर पर 10mm डायमीटर के 4 बार और स्टिरप के तौर पर 8mm डायमीटर के बार। इसमें तार बांधने का खर्च, बर्बादी, साइट पर सारा सामान ले जाना, लेबर चार्ज वगैरह शामिल हैं। सब कुछ बैंक के इंजीनियर के बताए तरीके से पूरा हुआ।	0.50	घन मापी
5	प्लास्टरिंग: चिनाई/RCC दीवारों की खुली सतह को रेक करके, पानी देकर और वायर ब्रश, झाड़ू से अच्छी तरह साफ करके तैयार करना, औसतन 20 mm मोटा सीमेंट प्लास्टर देना और लगाना, जिसमें CM 1:4 का इस्तेमाल करके पैच में प्लास्टर करना, अप्रूव्ड क्वालिटी OPC और रेत का इस्तेमाल करना, सही प्लंब, लेवल और आस-पास की सतहों से लाइन मैच करना वगैरह शामिल है। दीवार के प्लास्टर की सतह एक जैसी होनी चाहिए और फिनिशिंग स्मूद होनी चाहिए (टाइल डैडो वाली दीवारों के लिए रफ फिनिश)। रेट में क्योरिंग, लेबर, तैयार काम के लिए ज़रूरी सभी लीड और लिफ्ट वगैरह, मलबा हटाना वगैरह शामिल होगा, जो बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार पूरा होगा।	180	वर्गमीटर
6	पूरी तरह से सफाई करके, धूल, गंदगी आदि हटाकर सतह तैयार करना, मद संख्या 05 के अनुसार प्लास्टर और बॉर्डर वाली सतह पर दीवार क्लैडिंग के लिए स्वीकृत मेक और शेड की 1200 मिमी x 600 मिमी/ 1600 मिमी x 800 मिमी (या स्वीकृत निकटतम उपलब्ध आकार) की प्रथम गुणवत्ता/ प्रीमियम गुणवत्ता वाली विट्रिफाइड टाइलें प्रदान करना और लगाना, निर्माता के विनिर्देशों के अनुसार अनुमोदित मेक के 6 मिमी औसत मोटे पॉलीमर संशोधित त्वरित सेटिंग चिपकने वाले के साथ, टाइल के पूरे पीछे के क्षेत्र में पूरी तरह फैला देना (यदि जोड़ खोखलापन के प्रति संवेदनशील पाया जाता है तो कार्य को सरसरी तौर पर खारिज किया जा सकता है) और इसमें मेटैलिक शेड के इपॉक्सी ग्राउट के साथ तैयार क्षैतिज जोड़ों के साथ आवश्यक खांचे प्रदान करना, इलाज आदि शामिल है, सभी बैंक के इंजीनियर के अनुदेशानुसार पूरा किया जाए।	150.00	वर्गमीटर.
	दीवार के सभी खुले कोनों पर 20mmx 20mm साइज़ की पॉलिशड एल्यूमीनियम प्रोफ़ाइल बीडिंग लगाना और लगाना, उन्हें दीवार में लगाना, सभी कटिंग, खुले किनारों को पीसना, अलग-अलग शेड की टाइलों का इस्तेमाल करके दीवार में पैटर्न बनाना, अगर कोई बर्बादी हो, सही फिनिशिंग, वगैरह शामिल होगा। नेट खुला एरिया मापा जाएगा और उसका पेमेंट किया जाएगा। टाइलों का बेसिक रेट		

	Rs 1200/- प्रति Sqmtr माना जाएगा, जिसमें GST शामिल नहीं है (बेसिक रेट एडजस्टमेंट के लिए कृपया टेंडर पार्ट-I के जनरल इंस्ट्रक्शन्स में क्लॉज़ 31 देखें)। काम का सिर्फ़ खुला हुआ फिनिश एरिया मापा जाएगा और उसका पेमेंट किया जाएगा।		
7	ईट की दीवारों के ऊपर UPVC फिक्स्ड पार्टिशन: - छत/बीम के निचले लेवल तक चिनाई वाली दीवारों के ऊपर ग्लेज़्ड पार्टिशन लगाना और लगाना, जो अप्रूव्ड मेक के UPVC एक्सट्रूडेड सेक्शन और सफेद/ऑफ़ व्हाइट रंग से बने हों, जिनका कम से कम सेक्शनल डाइमेंशन 62mmx 58mm हो और जो ठीक से जुड़े हों वगैरह। ग्लास पैनल 5mm मोटे और अप्रूव्ड मेक के होने चाहिए। पार्टिशन को चिनाई/RCC बीम वगैरह पर अप्रूव्ड मेक फास्टर से अप्रूव्ड तरीकों वगैरह से मजबूती से फिक्स किया जाएगा। रेफरेंस के लिए प्रपोज़्ड पार्टिशन दिखाने वाला एक इंडिकेटिव स्केच अटैच किया गया है। सिर्फ़ काम का असली एरिया ही मापा जाएगा और उसका पेमेंट किया जाएगा।	6.00	वर्गमीटर
8	श्रेडिंग रूम के प्रवेश द्वार पर कुल आकार 1800 मिमी x 2100 मिमी (डी1) का यूपीवीसी डबल शटर दरवाज़ा और 300 मिमी x 2100 मिमी आकार का निश्चित विभाजन: अनुमोदित मेक और सफेद/ऑफ़ व्हाइट रंग आदि के प्रबलित यूपीवीसी एक्सट्रूडेड अनुभागों से बने आंशिक रूप से चमकीले दरवाजे को प्रदान करना और बनाना। दरवाजे के फ्रेम में न्यूनतम अनुभागीय आयाम 70 मिमी x 62 मिमी हैं और शटर फ्रेम न्यूनतम आयाम 102 मिमी x 62 मिमी है और निश्चित विभाजन के लिए फ्रेम सहित अन्य सभी फ्रेम आवश्यकता के लिए उपयुक्त अनुभागों के साथ हैं और ठीक से एक साथ जोड़ दिए गए हैं आदि। दरवाजे का निचला पैनल 15 मिमी मोटी यूपीवीसी शीट का होगा और ऊपरी ग्लास पैनल 5 मिमी मोटे कड़े ग्लास और अनुमोदित मेक के होंगे। दरवाजे के फ्रेम/ रेफरेंस के लिए, प्रस्तावित दरवाज़े को दिखाने वाला एक इंडिकेटिव स्केच अटैच किया गया है।	1	वस्तु
9	ऊपर दिए गए आइटम 8 जैसा ही, लेकिन 1800mmx 2100mm (D2) के कुल साइज़ का UPVC डबल शटर दरवाज़ा देने और लगाने के लिए, जिसमें हर शटर में लगभग 300mmx 750mm साइज़ का ग्लास व्यूइंग पैनल और 300mm x 2100mm साइज़ का फिक्स्ड पार्टिशन हो। दरवाज़े का एक इंडिकेटिव स्केच रेफरेंस के लिए अटैच है।	1	वस्तु
10	सब कुछ ऊपर दिए गए आइटम 8 जैसा ही है, लेकिन 800mmx 2100mm (D3) के कुल साइज़ का UPVC सिंगल शटर दरवाज़ा देने और लगाने के लिए, जिसके ऊपर ग्लास पैनल वगैरह हो, दरवाज़े का एक इंडिकेटिव स्केच रेफरेंस के लिए अटैच किया गया है।	1	वस्तु
11	पॉलीयूरेथेन फ़्लोरिंग		
	तेल, ग्रीस, गंदगी, ढीले मटीरियल वगैरह हटाकर सबस्ट्रेट तैयार करना, मंज़ूर डिजर्ट / डीग्रीसिंग कंपाउंड, मैकेनिकल क्लीनिंग वगैरह का इस्तेमाल करना, और फिर शॉर्ट ब्लॉस्टिंग और फिर वैक्यूम क्लीनिंग से ढीले कंक्रीट / मोर्टार को हटाना। टॉपकोट के लिए इस्तेमाल होने वाले पॉलीयूरेथेन प्रोडक्ट्स के साथ कम्पैटिबल मटीरियल से फ़्लोर	85	वर्गमीटर

	पर सभी गड्ढों / गड्ढों / दरारों / जोड़ों की पैच रिपेयर करना। मौजूदा कंक्रीट फ़्लोर की सतह पर कम से कम 4mm की कुल मोटाई के साथ मीडियम से हेवी ड्यूटी, सीमलेस, सॉल्वेंट-फ्री, नमी से असंवेदनशील और फूड-सेफ़ पॉलीयूरेथेन कंक्रीट फ़्लोरिंग सिस्टम देना और लगाना, जिसकी डेंसिटी 1950 kg/cum से कम न हो। फ़्लोरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला मटीरियल मंज़ूर मेक (M/s Master Builders का Ucrete MF या M/s Fosroc का Nitoflor SL 3000 UT) और मंज़ूर रंग का होना चाहिए ताकि स्मूद और एक जैसा मैट फ़िनिश हो। फ़्लोरिंग को 1mm मोटे स्क्रेच कोट और 3mm मोटे टॉपकोट (स्क्रेच कोट लगाने के 48Hrs पहले) में मैन्युफैक्चरर के ऑथराइज़्ड एप्लीकेटर द्वारा मैन्युफैक्चरर द्वारा दी गई एप्लीकेशन गाइडलाइन के अनुसार लगाया जाएगा। हर कोट को अगला कोट लगाने से पहले ज़रूरी समय तक सूखने दिया जाएगा और रेट में बैंक की जगह से कचरा हटाने और फेंकने, काम करने की जगह की सफ़ाई वगैरह का खर्च शामिल होगा, यह सब बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार पूरा किया जाएगा। (पेमेंट के लिए सिर्फ़ साफ़ फ़िनिश एरिया को मापा जाएगा।)		
12	छत, बीम वगैरह पर लगे मौजूदा पेंट को हटाकर और खुरचकर सतह तैयार करना, एक कोट प्राइमर के ऊपर अप्रूव्ड मेक और शेड के प्रीमियम क्वालिटी वाले ऐक्रेलिक इंटीरियर इमल्शन पेंट के 2 कोट लगाना, सतह को लेवल करने के लिए जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ पुट्टी लगाना वगैरह। रेट में साइट तक सभी सामान लाने-ले जाने का खर्च और ढुलाई, लोडिंग और अनलोडिंग का चार्ज, लेबर चार्ज, मचान का किराया और लेबर वगैरह शामिल होगा। यह सब बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार पूरा किया जाएगा।	175	वर्गमीटर
13	दीवारों पर लगे पेंट को हटाकर सतह तैयार करना, एक कोट प्राइमर और वॉल पुट्टी के ऊपर अप्रूव्ड मेक और शेड के प्रीमियम क्वालिटी के ऐक्रेलिक इंटीरियर इमल्शन पेंट के 2 कोट लगाना और लगाना और अंदर की दीवारों को स्मूद फिनिश देने के लिए सैंडिंग करना, जिसमें साइट पर सभी सामान लाने और ले जाने का खर्च, लोडिंग और अनलोडिंग का चार्ज, लेबर चार्ज, मचान के लिए किराया और लेबर वगैरह शामिल हैं। यह सब बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार पूरा किया जाता है।	100	वर्गमीटर
14	आइटम 1 के तहत हटाए गए और स्टैक किए गए बचाए जा सकने वाले आइटम को हटाने पर रिबेट	1	काम।

दिनांक:

निविदाकर्ता के मुहर सहित हस्ताक्षर:

स्थान:

ANNEXURE I

करार की शर्तें

-----के ----- दिन पर करार की शर्तें एक पार्टी भारतीय रिज़र्व बैंक (यहाँ इसके बाद जिसे "नियोक्ता" कहा गया है) और दूसरी पार्टी -----
 -----(यहाँ इसके बाद जिसे "संविदाकार" कहा गया है) के बीच निर्धारित की गई हैं।
 जब कि नियोक्ता बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम के बेसमेंट फ्लोर पर स्थित एसबीएस कमरा का नवीनीकरण करवाने का इच्छुक है और बैंक के इंजीनियर के निदेशानुसार किये जाने वाले कार्य का वर्णन करते हुए मात्रा का बिल, रेखाचित्र एवं विनिर्देश तैयार किये हैं।

और जबकि विनिर्देशों, मात्रा - अनुसूची पर अब से पार्टियों द्वारा अथवा उनकी ओर से हस्ताक्षर किये गये हैं।
 और जब कि संविदाकार ने इसमें घोषित शर्तों के अधीन और विशेष शर्तों में बताई गई शर्तों और मात्रा अनुसूची और संविदा की यथा संशोधित और दोनों पार्टियों द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत शर्तों (उन सभी को यहाँ इसके बाद सामूहिक रूप से "उक्त शर्तें" कहा गया है) पर ऊपर उक्त रेखाचित्रों में दर्शाये गये और/अथवा उक्त विनिर्देशों में वर्णित और उसमें घोषित संबंधित दरों पर मात्रा अनुसूची में शामिल करके निकाली हुई राशि और ऐसी अन्य राशि पर जो उसके अंतर्गत भुगतान योग्य होगी (यहाँ इसके बाद जिसे "उक्त संविदा राशि" कहा गया है) कार्य का निष्पादन करने की सहमति प्रदान की है।

अब इसके द्वारा निम्नानुसार यह सहमति हुई है/

1. उक्त शर्तों में बताई गई विधि और समय-समय पर भुगतान की जाने वाली उक्त संविदा राशि को ध्यान में रखते हुए संविदाकार उक्त शर्त पर और शर्त के अधीन ऊपर दर्शाए गए रेखाचित्रों और उक्त विशेष विवरणों तथा मात्रा-अनुसूची में वर्णित कार्य को निष्पादित और पूर्ण करेगा।
2. नियोक्ता संविदाकार को उक्त संविदा राशि अथवा ऐसी अन्य राशि का भुगतान करेगा जो समय-समय पर और उक्त शर्तों में विनिर्दिष्ट विधि से भुगतान योग्य होगी।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक कार्य के पर्यवेक्षण, बिलों के प्रमाणन, भुगतान और विभिन्न शर्तों के कार्यान्वयन, संविदा की शर्तों के प्रबंध और प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण की व्यवस्था करेगा।
4. उक्त शर्तें और संबंधित परिशिष्ट इस करार के भाग के रूप में पढ़े और समझे जाएंगे और उस संदर्भ में पार्टियाँ अब से इसमें निहित उक्त शर्तों के प्रति प्रतिबद्ध रहेगी, उनके प्रति अपने आपको समर्पित करेगी तथा अपनी-अपनी ओर से करारों का निष्पादन करेगी।

5. उक्त नक्शे, करार और इसमें उल्लिखित दस्तावेज़ इस संविदा का आधार होंगे।

6. यह संविदा न तो एक एकमुश्त संविदा है और न ही एक मद वार उजरती काम है बल्कि यह एक ऐसी संविदा है जिसके अंतर्गत उक्त कार्य पूरा करना है और उसके लिए दरों की अनुसूची में निहित दरों और संभावित मात्राओं की अनुसूची में दी गई दरों पर वास्तविक रूप से मापी गई मात्राओं अथवा उक्त शर्तों में यथा निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान किया जाना है।

7. संविदाकार उक्त शर्तों में निर्धारित की गई विधि से सिविल कार्यों और अनुषंगी कार्यों से संबंधित समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए सभी उचित सुविधाएं प्रदान करेगा और ऐसा कार्य पूर्ण होने के बाद दीवारों, फर्श, इत्यादि को हुई किसी प्रकार की क्षति को ठीक कराएगा।

8. नियोक्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय, इस संविदा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्य की किसी मद को जोड़ कर अथवा हटा कर उसके रेखाचित्र और कार्य के प्रकार में परिवर्तन कर दे अथवा उसके भागों को पूर्ण करवा ले। तथापि, ठेकेदार निविदा राशि से अधिक किए गए कार्यों के लिए किसी भी भुगतान के हकदार नहीं होंगे, जब तक बैंक के इंजीनियर द्वारा विशेष रूप से लिखित अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है।

9. 'समय इस संविदा का महत्वपूर्ण कारक है और संविदाकार एतद्वारा सहमत है कि समय विस्तार का प्रावधान होते हुए भी वह कार्य आदेश जारी करने की दिनांक से दसवें दिन से तथाकथित शर्तों में उल्लिखित किए गए अनुसार जो भी बाद में हो, काम शुरू कर देगा और उसके बाद कार्य आदेश की तारीख के 10 वें दिन से 8 हफ्ते की अवधि के भीतर पूरा काम करेगा। यदि कार्य को कार्य आदेश में निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं किया जाता है, तो अनुबंधित मूल्य के अधिकतम 10% विलंबित विषय के प्रति सप्ताह अनुबंध राशि के 0.25% की दर से परिसमापन किया जाएगा। इस संविदा के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किये गये सभी भुगतान केवल तिरुवनंतपुरम में ही किये जाएंगे।

10. इस संविदा के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा सभी भुगतान केवल तिरुवनंतपुरम में किए जाएंगे।

11. इस करार से उत्पन्न अथवा किसी भी प्रकार से इससे संबंधित सभी विवादों के संबंध में यह समझा जाएगा कि वे तिरुवनंतपुरम में उठे हैं और उनके संबंध में निर्णय के लिए केवल तिरुवनंतपुरम के न्यायालय ही न्यायक्षेत्र होंगे।

12. यह कि संविदाकार द्वारा इस संविदा के विभिन्न भागों को पढ़ा गया है और उन्हें संविदाकार द्वारा पूरी तरह से समझ लिया गया है।

13. संविदाकार इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के दौरान ठेकदार को मिलने वाली कोई भी जानकारी, सामग्री तथा बैंक के बुनियादी ढांचा/सिस्टम/उपस्करणों आदि के संबंध में मिलने वाली जानकारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकटीकरण किसी अन्य पक्षकार को नहीं करेगा तथा हमेशा इसे अतिगोपनीय बनाए रखेगा। लागू कानून का अनुपालन करने या संविदा के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक होने की स्थिति को छोड़कर संविदाकार इस संविदा के ब्यौरों को निजी दायरे में और गोपनीय रखेगा। बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना संविदाकार किसी व्यापारिक या तकनीकी पेपर में या अन्यत्र कार्य के विवरण को न तो प्रकाशित करेगा, न ही प्रकाशन की अनुमति देगा और न ही इसका प्रकटीकरण करेगा। किसी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुई हानि के लिए संविदाकार बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त शर्तों का पालन न करना संविदाकार द्वारा संविदा भंग माना जाएगा और नियोक्ता हुई क्षति का दावा करने तथा कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।

इस करार के अधीन गोपनीय जानकारी का प्रकटीकरण न किए जाने के दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संविदाकार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा।

प्रकटीकरण न करने और गोपनीयता के संबंध में संविदाकार का दायित्व इस करार के समाप्त होने या किसी भी कारण से समाप्त किए जाने तक बना रहेगा।

14. विदाकार संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 और इसके अंतर्गत बनाए गए सभी नियमों का पालन करेगा और इसके अंतर्गत सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। संविदाकार किसी एक दिन कार्य पर लगाए जाने वाले अधिकतम मजदूरों की संख्या के बारे में बैंक को बताएगा। इस संख्या में होने वाली वृद्धि को बिना किसी देरी के बैंक को बताया जाए। यदि कार्य के लिए लगाए जाने वाले मजदूरों की संख्या बीस या उससे अधिक होती है तो संविदाकार क्षेत्रीय श्रम आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त करेगा। संविदाकार अपने द्वारा काम पर लगाए गए सभी मजदूरों/कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करेगा।

15. क) संविदाकार कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक (चेन्नै कार्यालय) के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में शिकायत संविदाकार/एजेंसी द्वारा गठित शिकायत समिति के समक्ष दायर की जाएगी संविदाकार/एजेंसी उक्त शिकायत के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

ख. संविदाकार के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध की गई यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

ग. यदि घटना में संविदाकार का कोई कर्मचारी शामिल होता है तो उस स्थिति प्रदान की जाने किसी भी मौद्रिक प्रतिपूर्ति के लिए संविदाकार उत्तरदायित्व होगा, उदाहरण के लिए बैंक के किसी कर्मचारी को दी जाने वाली मौद्रिक राहत यदि संविदाकार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा सिद्ध हो जाती है।

घ. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और अन्य संबंधित मुद्दों पर अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी संविदाकार की होगी।

ङ. संविदाकार बैंक परिसर में काम पर लगाए गए अपने कर्मचारियों की पूरी और अद्यतन सूची उपलब्ध करवाएगा।

16. संविदाकार निम्न के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में बीमा करवाएगा और उसे लागू रखेगा

- i) कार्य के निष्पादन से/दौरान होने वाली तीसरी पार्टी के नुकसान/ व्यक्ति या संपत्ति को हुए नुकसान से उत्पन्न दावा।
- ii) कार्य के निष्पादन के दौरान संविदाकार द्वारा काम पर लगाए गए कामगार के कारण हुए नुकसान/क्षति से उत्पन्न दावा।
- iii) लागू पीएफ/श्रम कानूनों, ईएसआई, विनियमों आदि का अनुपालन न किए जाने के कारण उत्पन्न कोई दावा।

नियोक्ता और संविदाकार इस बारे में साक्ष्य स्वरूप अपने-अपने हस्ताक्षर किए और इसकी दो प्रतियाँ उक्त दिन और वर्ष को तैयार की गईं।

यदि संविदाकार एक साझेदारी फ़र्म या एक व्यक्ति हो

नियोक्ता और संविदाकार इस बारे में साक्ष्य स्वरूप अपने-अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के माध्यम से निष्पादित किए और संविदाकार ने इसकी दोनों प्रतियों पर अपनी सामान्य मुहर लगाई इसकी दो प्रतियों पर उसकी ओर से इन्हें उक्त दिन और वर्ष को निष्पादित किया गया।

यदि संविदाकार एक कंपनी है तो

हस्ताक्षर खंड

भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द

श्री

(नाम एवं पदनाम)

इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गए /

(1)

पता

(2)
पता

साक्षी

इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गए

(1)
पता
(2)
पता

यदि पार्टी भागीदारी फर्म या
वैयक्तिक फर्म हो तो सभी अथवा
सभी भागीदारों की ओर से
हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

साक्षी /

निम्नलिखित की उपस्थिति में दिनांक ----- को संपन्न
निदेशक बोर्ड की बैठक में पारित संकल्प के अनुसरण में इस
पर ----- की कॉमन मुहर लगाई गई है।

(1)
(2)

निदेशक, जिन्होंने निम्नलिखित की मौजूदगी में इसके
प्रमाणस्वरूप इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(1)
(2)

यदि निविदाकार उसके कॉमन मुहर
के अंतर्गत हस्ताक्षर करता है तो
हस्ताक्षर खंड संस्था के अन्तर्नियमों
में दिए गए मुहर खंड से मेल खाने
चाहिए।

विधिवत गठित अटर्नी एवं श्री

द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द

यदि संविदाकार चाहे कंपनी के रूप
में या वैयक्तिक रूप में मुख्तारनामा
के अंतर्गत हस्ताक्षर करता हो तो

अनुबंध II

निषेध के संबंध में वचन

(फर्मों को बोली लगाने से रोकने के संबंध में वचनबद्धता)

कार्य का नाम:

1. मैं/हम (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि

मैं/हम या हमारी किसी संबद्ध फर्म* को भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/इकाई द्वारा (बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि) तक प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में नहीं डाला गया है।

a) मैंने/हमने या हमारी किसी भी जुड़ी हुई फर्म* ने पिछले तीन सालों में (बिड जमा करने की आखिरी तारीख) तक भारत या किसी दूसरे देश में किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन/एंटीटी के साथ कोड ऑफ़ इंटीग्रिटी (टेंडर में बताया गया) का कोई उल्लंघन नहीं किया है।

b) अगर मुझे/हमें या हमारी किसी जुड़ी हुई फर्म* को भारत या किसी दूसरे देश में किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन द्वारा बताए गए काम के लिए काम मिलने पर या उससे पहले डिबार/सस्पेंड/ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, तो हम बैंक को लिखकर बता देंगे।

2. मैं/हम, (बोली लगाने वाले का नाम) घोषणा करता हूँ/करते हूँ/करते हूँ/हैं कि मैं/हम या हमारी संबद्ध फर्म * (संबद्ध फर्म(फर्मों का नाम) को (भारत अथवा किसी अन्य देश में सार्वजनिक संस्थान का नाम और पता) द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में डाल दिया गया है और यह(तारीख) तक प्रभावी है। ऐसे पत्र की एक प्रति आपकी जानकारी एवं रिकार्ड के लिए संलग्न है।

(बोली लगाने वाले की मुहर और हस्ताक्षर)

तारीख

स्थान

(नोट: ऊपर दिए गए दो घोषणा में से जो लागू न हो उसे काट दें)

*एलाइड फर्म: एक फर्म को "एलाइड फर्म" कहा जाएगा अगर मैनेजमेंट कॉमन हो, या बैन/सस्पेंडेड फर्म के पास काफी या मेजोरिटी शेयर हों और इस वजह से उसका कंट्रोलिंग वॉइस हो। इसके अलावा, सभी सक्सेसर फर्मों को भी एलाइड फर्म माना जाएगा।

अनुबंध III

संविदा के नियमों और शर्तों की उचित पूर्ति के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

स्थान:
दिनांक:

श्रीमती सुजाता जे
प्रभारी महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक,
तिरुवनंतपुरम 695033

प्रिय महोदय/महोदया,

कार्य का नाम: बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम के बेसमेंट मंजिल पर स्थित एसबीएस कक्ष के नवीनीकरण के लिए निविदा।

जबकि

भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है, (जिसे आगे "आरबीआई" कहा जाएगा) ने उपर्युक्त कार्य (जिसे आगे "संविदा" कहा जाएगा) के लिए संविदा _____ (ठेकेदार का नाम) (जिसे आगे "उक्त ठेकेदार" कहा जाएगा, जिसके अंतर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे) को प्रदान किया है।

और जबकि ठेकेदार उक्त संविदा द्वारा आरबीआई को संविदा में निहित नियमों और शर्तों के उक्त ठेकेदार द्वारा उचित पूर्ति के लिए ₹ _____ (केवल रुपए _____) की कुल राशि के लिए एक प्रदर्शन सुरक्षा जमा करने के लिए बाध्य है। हम, _____ (बैंक का नाम), (इसके बाद "बैंक" कहा जाता है) मेसर्स _____, ठेकेदार के अनुरोध पर, संविदा के नियमों और शर्तों की उचित पूर्ति के लिए आरबीआई को प्रदर्शन गारंटी के रूप में ₹ _____ से अधिक राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

अब यह गारंटी गवाह है

- हम _____ (अनुसूचित बैंक का नाम) इसके द्वारा आरबीआई, उनके उत्तराधिकारियों के साथ सहमत हैं और यह दायित्व निभाते हैं कि यदि आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि निविदाकर्ता ने निविदा की उक्त शर्तों के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, जो निष्कर्ष हमारे साथ-साथ उक्त ठेकेदार पर भी बाध्यकारी होगा, तो हम आरबीआई द्वारा मांगे जाने पर, आरबीआई को बिना किसी आपत्ति के ₹ _____ (केवल _____ रुपए) की राशि या आरबीआई द्वारा मांगी गई कोई कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त संविदा के तहत ठेकेदार के दायित्वों के उचित प्रदर्शन के लिए

प्रदर्शन गारंटी राशि के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के खिलाफ हमारी देयता ₹ _____ (केवल _____ रुपए) की राशि से अधिक नहीं होगी।

2. हम यह भी वचन देने और पुष्टि करने के लिए सहमत हैं कि पूर्वोक्त ₹ _____ (केवल रुपये _____) से अधिक नहीं की राशि हमारे द्वारा बिना किसी आपत्ति या विरोध के, केवल आरबीआई से मांगने पर लिखित में नोटिस प्राप्त होने पर भुगतान की जाएगी जिसमें कहा गया होगा कि राशि उन्हें देय है और हम कोई और सबूत या प्रमाण नहीं मांगेंगे और आरबीआई से नोटिस हमारे लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगा और हमारे द्वारा किसी भी तरह से इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। बैंक आरबीआई को किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या मध्यस्थ/मध्यस्थों के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में ठेकेदार द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद/विवादों के बावजूद मांगी गई किसी भी राशि का भुगतान करेगा और इस गारंटी के तहत देयता पूर्ण और स्पष्ट होगी। हम पूर्वोक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के अंतर्गत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और निविदाकर्ता के बीच हुए समझौतों या अन्य सहमति से स्वतंत्र होगा।

4. आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना हम इस गारंटी को रद्द नहीं करेंगे।

5. हम आगे इस बात पर सहमत हैं कि:

(a) उक्त संविदा की शर्तों को लागू करने या उक्त निविदा और/या इसके अंतर्गत निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों के अनुपालन में आरबीआई की ओर से कोई भी सहनशीलता या कमीशन या आरबीआई द्वारा ठेकेदार को कोई समय देना या कोई रियायत दिखाना या उससे संबंधित कोई अन्य मामले हमें किसी भी तरह से और इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व से मुक्त नहीं करेंगे। यह गारंटी केवल ठेकेदार द्वारा अपने दायित्वों के प्रदर्शन और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, हमारे द्वारा अधिकतम राशि का भुगतान करके ही पूरी की जाएगी।

₹ _____ (रुपए _____ मात्र)

(b) _____ (रुपये _____ मात्र) से अधिक नहीं होगा।

(c) इस समझौते के तहत हमारा दायित्व हमारे उक्त घटकों/ग्राहकों की ओर से किसी भी प्रकार की दुर्बलता या अनियमितता या उसके तहत उनके दायित्वों या हमारे उक्त घटकों के संविधान में विघटन या परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा।

(d) यह गारंटी _____ से _____ महीने तक लागू रहेगी, बशर्ते कि यदि आरबीआई चाहे तो इस गारंटी को उनके द्वारा बताई गई अवधि के लिए हमारे द्वारा बताई गई शर्तों पर नवीनीकृत किया जा सकेगा।

(e) इस गारंटी के तहत हमारी देयता तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि इन गारंटी को ऊपर बताए अनुसार _____ पर नवीनीकृत नहीं किया जाता है या उस दिन जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का पालन करते हैं, जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिखित प्रमाण पत्र ही निर्णायक सबूत है, जो भी तारीख बाद में हो। जब तक कि उपरोक्त खंड (डी) के तहत उस तारीख से _____ महीनों के भीतर या किसी विस्तारित अवधि के भीतर हमारे खिलाफ कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई दायर नहीं की जाती है, इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ आरबीआई के सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें इसके तहत सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।

विधिवत प्राधिकृत होकर दिनांक _____ तारीख (माह और वर्ष) को इस गारंटी पर हस्ताक्षर किए हैं तथा मुहर लगाई है।

दा

(अनुसूचित बैंक की मुहर)

प्राधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

(नाम, पदनाम, स्टाम्प/सील आदि)

उपरोक्त नामित व्यक्तियों द्वारा बैंक की ओर से हस्ताक्षरित, मुहरबंद तथा निम्नलिखित की उपस्थिति में वितरित:

साक्षी 1

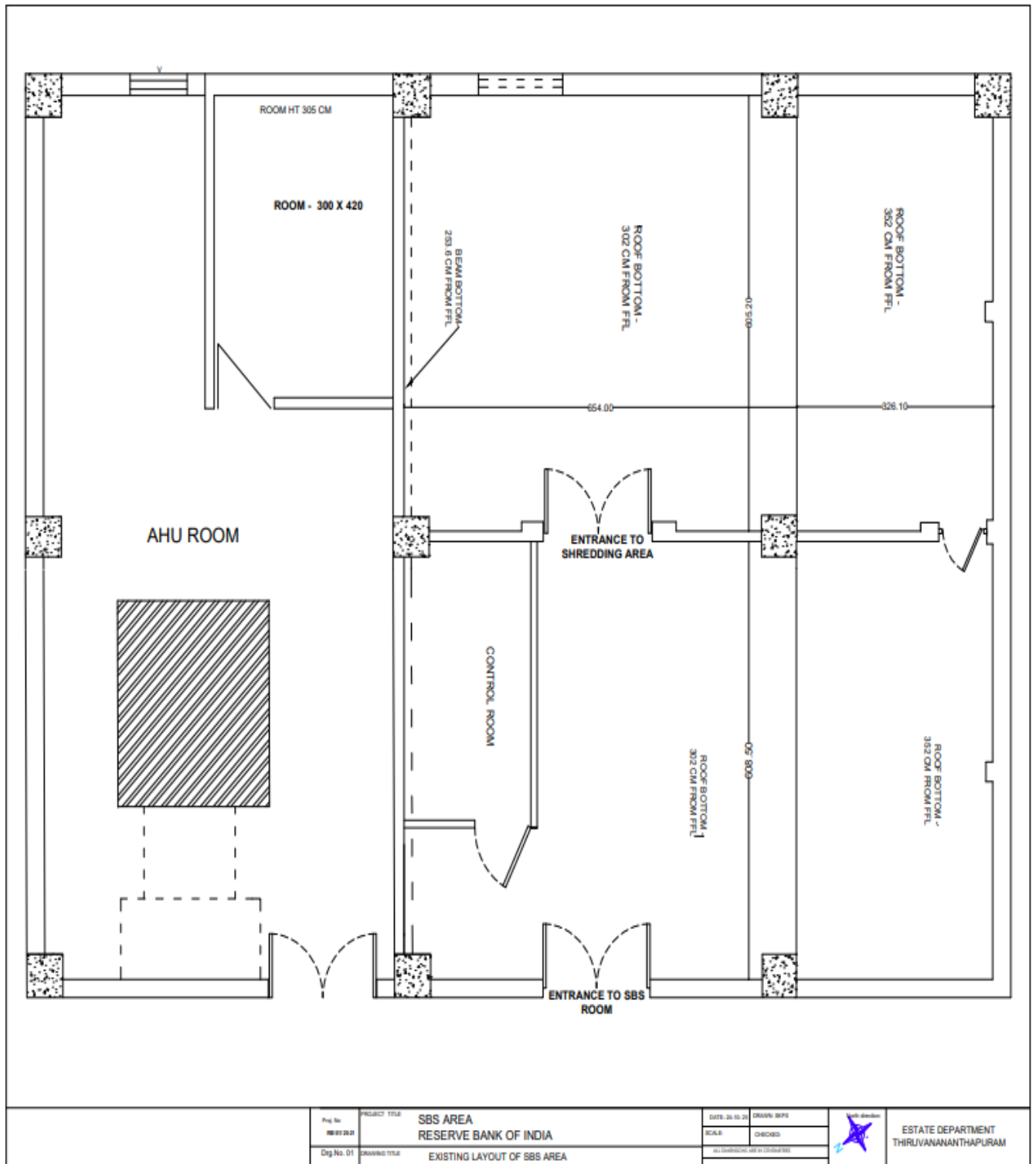
हस्ताक्षर

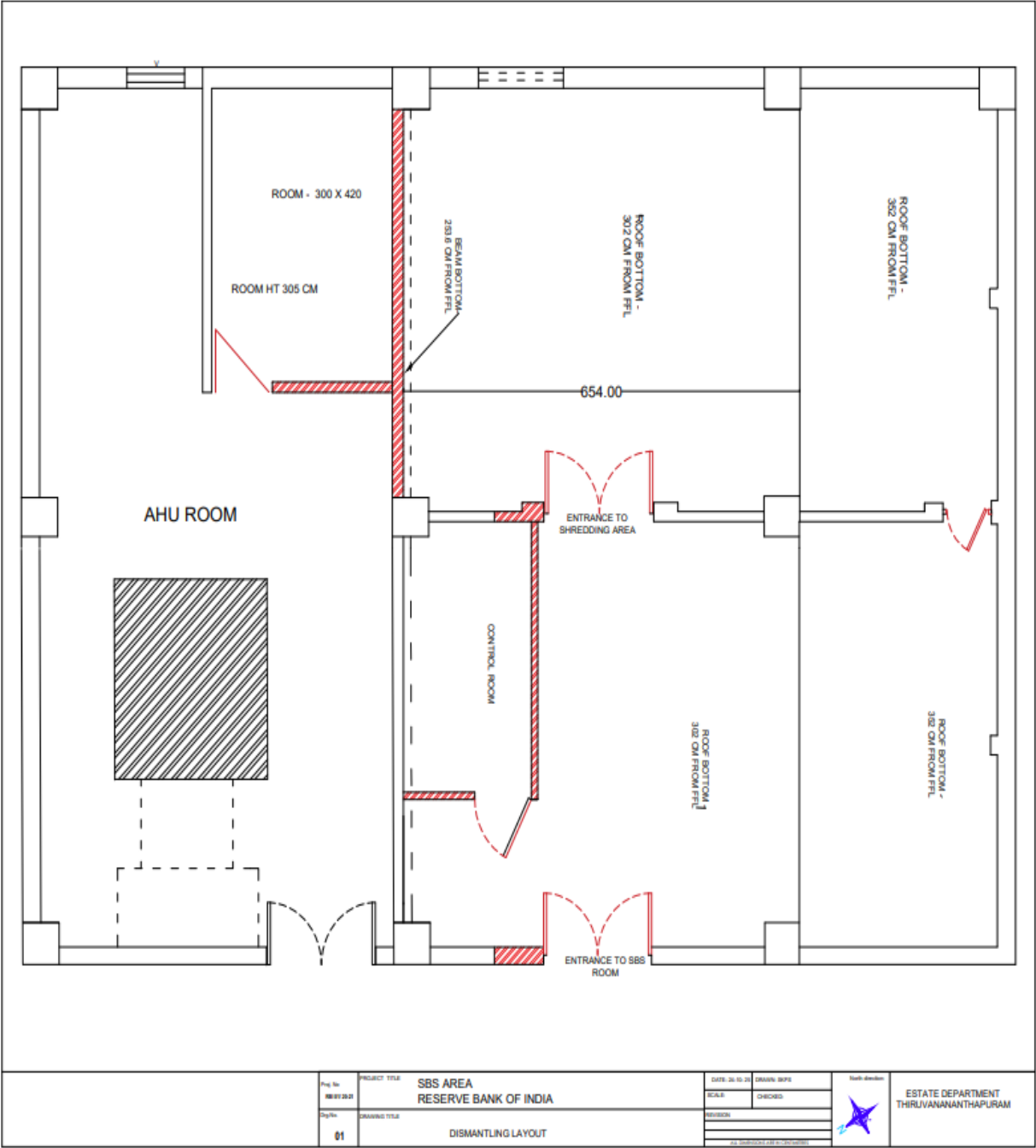
नाम.....

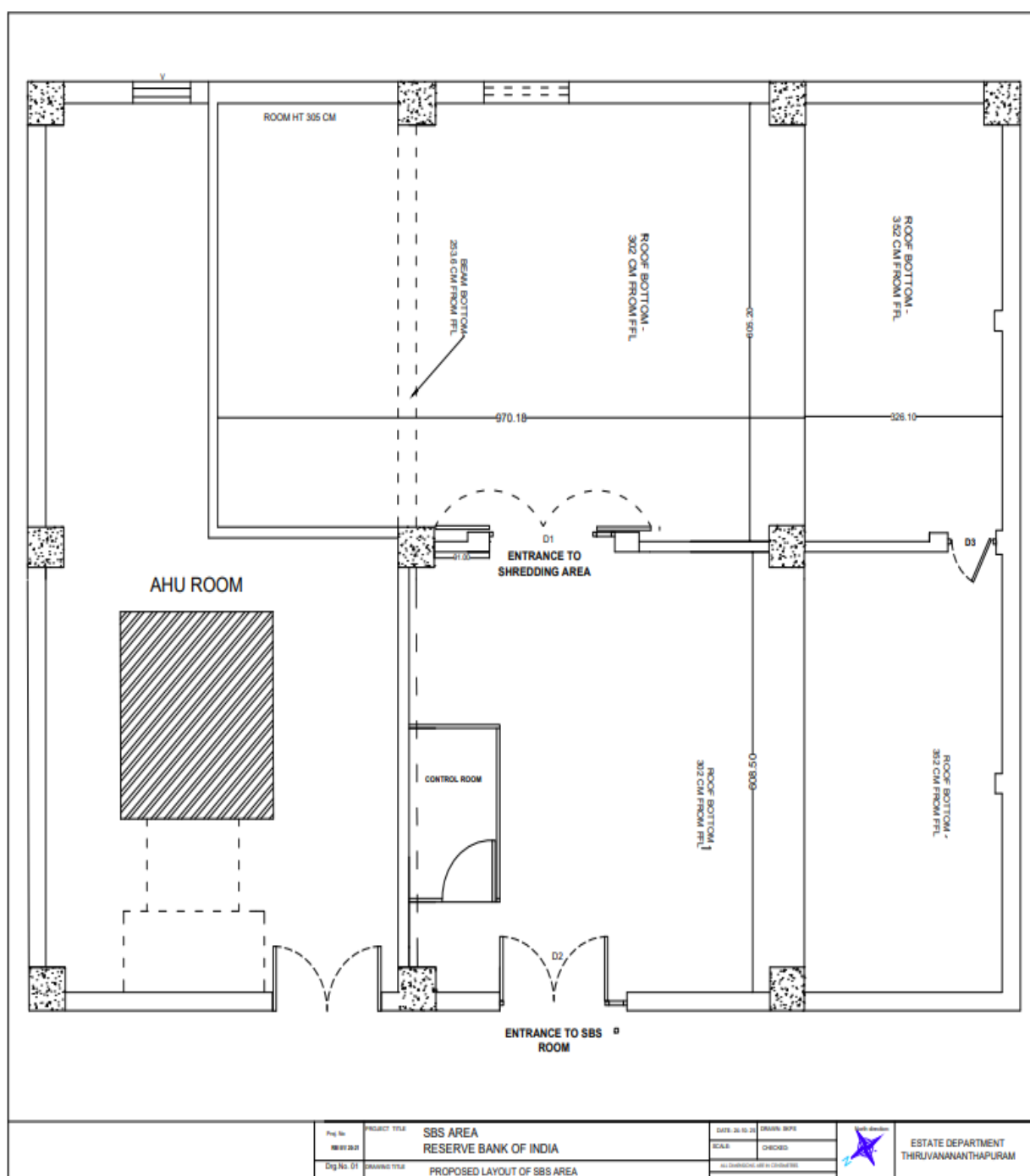
पता.....।

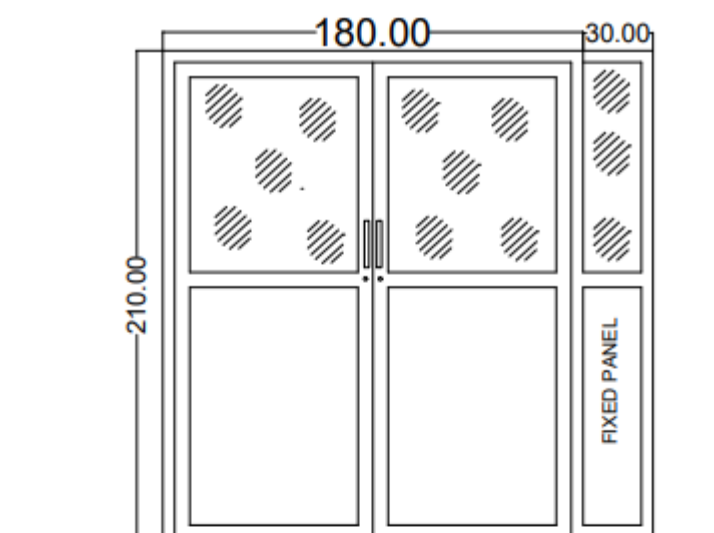
नोट - इस गारंटी के लिए उस राज्य में लागू स्टाम्प शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जा रहा है तथा इस पर उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और प्राधिकार का सत्यापन किया जाएगा।

अनुलग्न-III (चित्र)

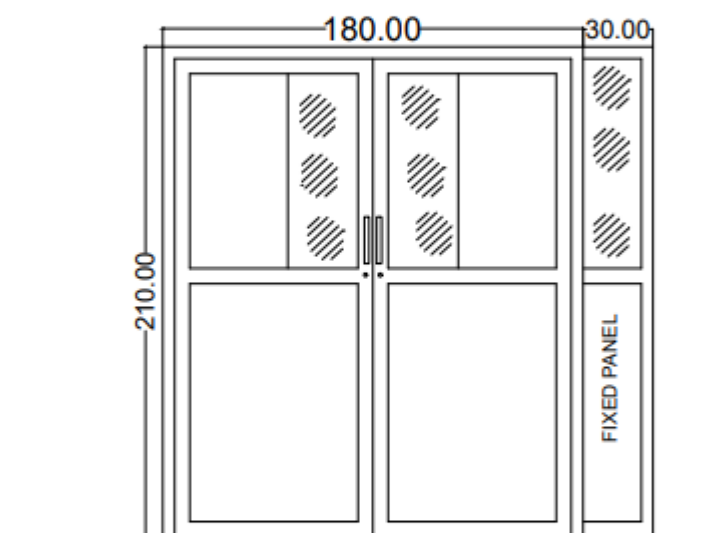




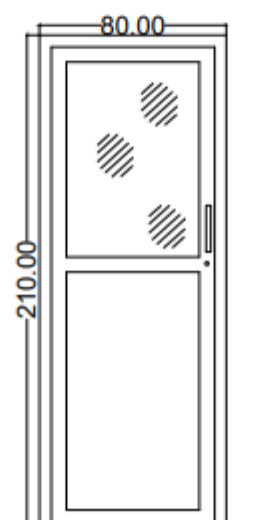




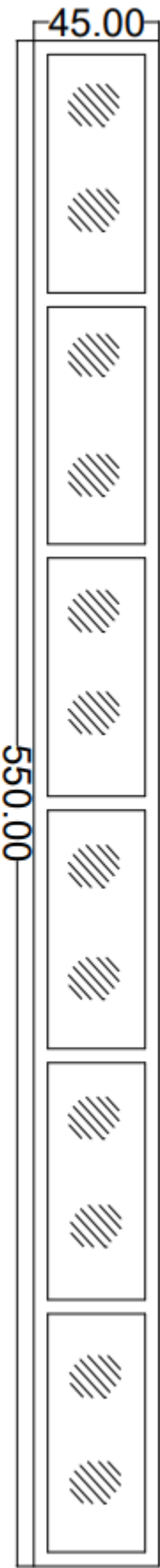
UPVC DOOR - D1



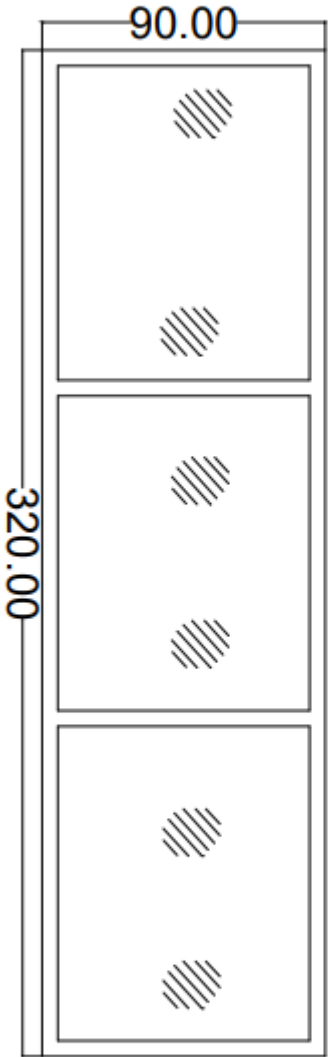
UPVC DOOR - D2



UPVC DOOR - D3



GLASS PARTITION - 1



GLASS PARTITION - 2